हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 फरवरी, 2012

खण्ड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 23 फरवरी, 2012

	पृष्ठ संख्या
सदस्या द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान	(1)1
राज्यपाल का अभिभाषण	(1)1
शोक प्रस्ताव	(1)15
घोषणाएं :	
(क) अध्यक्ष द्वारा :	
(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	(1)25
(ii) सदस्य का त्यागपत्र	(1)26
(iii)अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	(1)26
(ख) सचिव द्वारा	(1)26
कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट	(1)26
वाक-आऊट	(1)34
कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट (पुनरारम्भण)	(1)35

मूल्य :

सदन की मेज पर रखे/पुनः रखे गये कागज-पत्र (1)35

विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना (1)38

(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध (1)38

(ii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध (1)39

(iii)श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध (1)40

(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध (1)42

श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के परिवार के सदस्यों के न्यासों/सोसाइटियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए सदन की समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना। (1)43

वाक-आऊट (1)58

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 23 फरवरी, 2012

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 3.23 मध्याह्न-पश्चात् बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

सदस्या द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I call upon Smt. Renuka Bishnoi, a Member who has returned in the bye-election from 47-Adampur Assembly Constituency of Haryana Legislative Assembly held on 30th November, 2011 to subscribe oath/affirmation of allegiance to the Constitution of India.

I will also request her for signing on the roll of Members placed on the Secretary's Table after making subscribe oath/affirmation of allegiance.

(At this stage Smt. Renuka Bishnoi subscribed oath/affirmation of allegiance to the Constitution of India)

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in pursuance of rule 18 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly today on 23rd February, 2012 at 2.00 P.M. under Article 176(i) of the Constitution.

A copy of the address is laid on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सभासदो!

हरियाणा विधानसभा के इस वर्ष के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे

बड़ी खुशी हो रही है । इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि नव वर्ष आपके लिए मंगलमय और समृद्धिदायक हो ।

2. सात वर्ष पहले मेरी सरकार ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की थी । यह तभी से हरियाणा को एक आधुनिक, जीवन्त और स्पंदनशील राज्य बनाने; आय और रोजगार सृजित करने; निवेश को बढ़ाने; कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने; ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों का विकास करने; राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने; मानवीय गरिमा के साथ समावेशी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने तथा और पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर और निश्चित रूप से अग्रसर है ।

3. मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरी सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं और राज्य ने विकास का एक लम्बा सफर तय किया है । एक त्वरित अनुमान के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2010-11 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है । औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार वर्ष 2010-11 में औद्योगिक उत्पादन की औसत वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रही । वर्ष 2011-12 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 1,09,227 रुपये रहने की संभावना है और सभी राज्यों में गोवा के बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर है ।

4. सरकार व्यापार और उद्योग के विकास के लिए एक सहायक कर ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से सजग है । राज्य सरकार आम आदमी की आवश्यकताओं की ओर भी पूरी तरह से ध्यान दे रही है । हरियाणा घरेलू एलपीजी पर कर की छूट सबसे पहले देने वाले राज्यों में से एक था । सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल पर वैट भी समाप्त कर दिया है । छात्र बस पास पर यात्री कर माफ कर दिया गया है ।

5. सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण हरियाणा देश में औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है । पिछले सात सालों में बिजली के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति हुई है । वर्ष 2004-05 की तुलना में राज्य की अपनी बिजली उत्पादन क्षमता तीन गुणा से भी अधिक हो गई है । राज्य वर्ष 2012-13 तक बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है । राज्य ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में निरंतर बढ़त बनाये हुए है और इसके लिए लगातार चार वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर विधिवत् रूप से पुरस्कृत किया गया है । रबी 2010-11 में गेहूं की उच्चतम उत्पादकता और उत्पादन प्राप्त करने के लिए हरियाणा को प्रतिष्ठित 'कृषि कर्मण पुरस्कार' मिला है, जोकि एक अनूठी उपलब्धि है । खेलों के विकास के प्रति एक अभिनव और समग्र दृष्टिकोण से हरियाणा के खिलाड़ियों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है । जननी सुरक्षा योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल है, जिसकी सराहना देश भर में की गई है । शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों का व्यापक विस्तार हुआ है और राज्य बड़ी तेजी से उत्तरी भारत के शिक्षा केन्द्र के रूप में उभर रहा है ।

कृषि एवं किसानों के सरोकार

6. माननीय सभासदो! मेरी सरकार कृषि को उच्चतम प्राथमिकता देती आ रही है। किसानों और सम्पूर्ण किसान समुदाय के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाये गये हैं। इनके फलस्वरूप वर्ष 2010-11 में खाद्यान्नों का उत्पादन 166.29 लाख मीट्रिक टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्र के खाद्यान्न भण्डार में योगदान देने में हरियाणा का दूसरा स्थान है। राज्य ने केन्द्रीय पूल के लिए रबी 2011 में 69.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं की और खरीफ 2011 में 29.32 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जोकि अब तक की सर्वोच्च खरीद है। हरियाणा ने रबी 2010-11 में गेहूं की सर्वोच्च उत्पादकता, जोकि प्रति हैक्टेयर 46.24 क्विंटल है, हासिल की। वर्ष 2010-11 में सरसों की भी प्रति हैक्टेयर 1,869 किलोग्राम रिकार्ड पैदावार हुई, जोकि देश में सर्वाधिक थी।

7. सरकार उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रमाणित बीजों पर अनुदान दे रही है और वर्ष 2010-11 से गेहूं के प्रमाणित बीजों का शत-प्रतिशत उपचार कार्यक्रम चला रही है। राज्य में मृदा स्वास्थ्य की बहाली और पोषण प्रबंधन की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों पर सरकार ने अनुदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया है। किसानों को 13 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं ।

8. राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान 252.41 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। सरकार ने गन्ने की फसल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये हैं। चालू पिराई सीजन के दौरान राज्य द्वारा सुझाया गया गन्ने का मूल्य अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों के लिए क्रमशः 231 रुपये, 226 रुपये और 221 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

9. गन्नौर में 500 एकड़ भूमि पर बागवानी उत्पादों के लिए एक अति आधुनिक टर्मिनल मार्किट विकसित किया जा रहा है । करनाल और रोहतक की अनाज और सब्जी मण्डियों का उन्नयन किया गया है। पंचकूला में एक वातानुकूलित खुदरा मण्डी स्थापित की जा रही है। करनाल, पानीपत और रोहतक में एग्रो शॉपिंग माल स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य की 15 अनाज तथा सब्जी मण्डियों में कोल्ड चेन सुविधाएं विकसित करने की एक परियोजना शुरू की गई है। सिरसा, करनाल और हिसार में कृषि-व्यवसाय व सूचना केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

10. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बागवानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आधुनिक प्रौधोगिकियों को बढ़ावा देने के लिए घरौण्डा में सब्जियों के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र और मंगियाणा में फलों के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है। गुड़गांव शहर को 'शहरी समूहों के लिए सब्ज़ी-पहल स्कीम' के तहत विकास हेतु लिया गया है। अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए हरियाणा को कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले राज्य के रूप में चुना है।

11. हरियाणा अपनी विश्व प्रसिद्ध मुर्राह नस्ल की भैंसों के लिए विख्यात है। हरियाणा को देश में प्रति भैंस अधिकतम दूध उत्पादन का गौरव प्राप्त है। सफल गर्भाधान के लिए हार्मोनल

तकनीक के माध्यम से समय पर कृत्रिम गर्भाधान सुनिश्चित करने हेतु एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है ।

12. वर्ष 2010-11 में प्रति इकाई मत्स्य उत्पादकता में हरियाणा का देशभर में दूसरा स्थान रहा । राज्य में पोस्ट हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बहादुरगढ़ और गुड़गांव में नई मत्स्य मण्डियां स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

13. माननीय सभासदो! यह गौरव की बात है कि हरियाणा सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति की देशभर में बड़ी सराहना हुई है । देशभर में दूसरी सरकारों ने भी इस नीति को अपनाया है । नीति में अनेक प्रगतिशील विशेषताएं हैं, जैसे कि नो-लिटीगेशन प्रोत्साहन, वार्षिकी देने का अनूठा प्रावधान, जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण होता है, उन्हें आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्लाट आवंटन और प्रभावित परिवारों के आश्रितों को रोजगार देना ।

14. माननीय सभासदो! राज्य के विकास में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है । हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न स्कीमों के तहत 303.72 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं । हरियाणा सहकारी डेरी विकास प्रसंघ ने दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए बीमा स्कीम शुरू की है । हैफेड द्वारा तरावड़ी चावल मिल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । गुड़गांव में 1,80,000 वर्ग फुट भण्डारण क्षेत्र वाला 30,000 मीट्रिक टन क्षमता का बहुउद्देशीय भण्डार गृह बनाया गया है ।

सिंचाई एवं जल संरक्षण

15. माननीय सभासदो! हरियाणा पानी की कमी वाला राज्य है । राज्य को नदी जल से उसका देय हिस्सा न मिल पाने से यह स्थिति और भी विकट हो गई है । मेरी सरकार पानी का हरियाणा का वैध हिस्सा लेने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे की सभी स्तरों पर जोरदार पैरवी करती रहेगी । सरकार ने उन्नत कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकीयों के प्रयोग से पानी के दक्षतापूर्ण उपयोग की ओर भी ध्यान दिया है । वितरण तथा संवहन के दौरान रिसाव से पानी की क्षति को रोकने के लिए नहरी तंत्र के सुधार का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है । पश्चिमी यमुना कैनाल (मेन लाइन लोअर) और पश्चिमी यमुना कैनाल मेन ब्रांच के दादूपुर से करनाल तक के तटबंधों को 127.50 करोड़ रुपये की लागत से पक्का करने का प्रस्ताव है । पंचकूला में घग्गर नदी पर कौशल्या डैम पूर्ण होने वाला है । ओटू झील से गाद निकालने के पहले दो चरणों का कार्य पूरा किया जा चुका है । अब तीसरे चरण का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है ।

16. मानसून के दौरान यमुना नदी के फालतू पानी का प्रयोग करने के लिए दादूपुर-शाहबाद-नलवी सिंचाई स्कीम का पहला चरण पूरा कर लिया गया है । दूसरे चरण का कार्य भी चल रहा है । जिला कुरुक्षेत्र में बीबीपुर झील की मरम्मत, सुधार एवं नवीनीकरण की 117 करोड़ रुपये की एक परियोजना भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है ।

17. हरियाणा यमुना नदी के अप-स्ट्रीम पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध

बनाने के मामले की पैरवी कर रहा है। भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया है और उनके जल घटक की 90 प्रतिशत लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथा शेष 10 प्रतिशत लागत सहभागी राज्यों द्वारा वहन की जाएगी।

18. स्थानीय लोगों को सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेवात फीडर नहर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत होने के बाद 666.60 करोड़ रुपये लागत की यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को वित्तीय सहायता के लिए भेजी जाएगी।

19. हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्यों की 664.40 करोड़ रुपये लागत की 252 नई स्कीमें और 157 करोड़ रुपये लागत की 103 चल रही स्कीमों की स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से 95 नई स्कीमें और 28 चल रही स्कीमें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने यमुना नदी के साथ लगते क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए 173.75 करोड़ रुपये की एक परियोजना स्वीकृत की है। कार्य प्रगति पर है।

बिजली

20. माननीय सभासदो! मेरी सरकार ने बिजली उत्पादन और सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक बिजली की आपूर्ति करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उपभोक्ताओं को की जा रही बिजली आपूर्ति में भी भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में प्रतिदिन औसतन 578 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई थी, जोकि अब 1009 लाख यूनिट प्रतिदिन हो गई है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 2.36 लाख परिवारों में से 1.94 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है।

21. मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली उत्पादन की परियोजनाएं अच्छी प्रगति पर हैं। वर्ष 2010 में खेदड़, हिसार स्थित 1200 मैगावाट की राजीव गांधी ताप बिजली परियोजना की दो इकाइयों के चालू होने से राज्य के उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। झज्जर में स्थापित हो रहे इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजैक्ट की 500 मैगावाट की दूसरी इकाई का 21 अक्तूबर, 2011 को सिंक्रोनाइजेशन किया गया है और तीसरी इकाई भी मार्च, 2012 में तैयार होने की संभावना है। इसके अलावा झज्जर में ही स्थापित हो रहे 1320 मैगावाट के महात्मा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजैक्ट की 660 मैगावाट की पहली यूनिट का 11 जनवरी, 2012 को सिंक्रोनाइजेशन किया जा चुका है और 660 मैगावाट की दूसरी यूनिट भी जुलाई, 2012 में तैयार होने की आशा है।

22. जलवायु परिवर्तन की चिंताओं ने ऊर्जा क्षेत्र को एक नया आयाम दिया है। नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा की ओर अग्रसर होने और कोयले की खपत कम करने की जितनी अति आवश्यकता आज समझी जा रही है, उतनी पहले कभी नहीं समझी गई। जिला फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में 4 X 700 मैगावाट का एक परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम ने इस संयंत्र की प्रथम चरण में प्रस्तावित 700-700 मैगावाट की दो इकाइयां स्थापित करने के लिए परियोजना पूर्व गतिविधियां शुरू कर दी हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

23. रोहतक जिले के कबूलपुर और सोनीपत जिले के दिपालपुर में 400-400 के.वी. के दो सब-स्टेशनों तथा सम्बद्ध 100 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाने के कार्य मई, 2010 में आबंटित किए जा चुके हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधार पर यह अपने प्रकार की पहली परियोजना है और भारत सरकार के योजना आयोग ने इसकी सराहना एक उत्कृष्ट पद्धति के रूप में की है। पिछले सात वर्षों में 293 नये सब-स्टेशन बनाये गये हैं, 523 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है तथा 4236 किलोमीटर लम्बी नई सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गई हैं।

24. हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने वाले अग्रणी राज्यों में है। हरियाणा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 2.8 मैगावाट क्षमता के तीन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किये गये और 3 मैगावाट क्षमता की तीन परियोजनाएं शीघ्र ही चालू होने वाली हैं। 426.8 किलोवॉट क्षमता के सात असम्बद्ध सौर ऊर्जा प्लांट भी राज्य में स्थापित किये गये हैं।

ग्रामीण विकास

25. ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार तथा ग्रामीण आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना (मनरेगा) के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 2012 तक 67.68 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। इनमें से 51 प्रतिशत मानव दिवस अनुसूचित जातियों के लिए तथा 36 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के लिए सृजित किये गये। इस कार्यक्रम के तहत 12697 विकास कार्य प्रारम्भ करवाए गये। मनरेगा के तहत श्रमिकों को 179 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जा रही है, जोकि देश के राज्यों में सर्वाधिक है। भारत सरकार ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया। प्रथम चरण में इसे चार जिलों नामतः कैथल, मेवात, भिवानी और झज्जर के 12 खण्डों में शुरू किया जाएगा। इस स्कीम का हरियाणा के सभी जिलों में चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जाएगा।

26. मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है। उन्हें अब सभी विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति दी गई है। अब से निधियां ग्राम पंचायतों को सीधे ही हस्तांतरित की जाएंगी और उन्हें 10 लाख रुपये तक के कार्य अपने स्तर पर करवाने या पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग को सौंपने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक पंचायत समिति को विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। जिला परिषदों के अध्यक्ष अब सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अध्यक्ष भी होंगे। जिन गांवों में नलकूपों की संख्या छः तक है, वहां पेयजल के प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए नलकूपों को चरणबद्ध ढंग से पंचायतों को सौंपा जा रहा है। अब तक 1459 आबादियों में 2663 नलकूपों को पंचायतों को सौंपा जा चुका है।

27. मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जल जनित बीमारियों के प्रभाव को कम करने के लिए स्वच्छता को जन स्वास्थ्य नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है। समुदाय केन्द्रित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रगति पर है ताकि लोगों को प्रोत्साहित कर गांवों को खुले में शौच जाने के प्रचलन से मुक्त किया जा सके। सरकार कस्बों की तर्ज पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 98 चयनित गांवों का विकास कर रही है।

शिक्षा

28. मेरी सरकार सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। शिक्षा के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए सही दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

29. प्राथमिक विद्यालय स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ पहुंच में भी काफी सुधार हुआ है। लिंग समानता में सुधार हुआ है। दाखिले और प्रतिधारण में लैंगिक अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है। सरकार प्रतिधारण बढ़ाने की चुनौती से निपट रही है और अध्ययन की गुणवत्ता में क्रमशः सुधार ला रही है। समुदाय को स्कूलों के प्रबन्धन में सक्रिय तौर पर शामिल किया जा रहा है।

30. माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम नामतः 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' क्रियान्वित की जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगभग 26 हजार अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है। दस जिलों नामतः भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत और सिरसा के शैक्षणिक रूप से पिछड़े खण्डों में 36 'आरोही' स्कूल स्थापित किये गये हैं। कृषक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान, गणित तथा वाणिज्य विषयों की शिक्षा में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में एक 'किसान आदर्श विद्यालय' खोले जाने का प्रस्ताव है। इनमें से चालू वर्ष के दौरान ही छः विद्यालय खोले जा रहे हैं।

31. 'राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा गुणात्मक ढांचा' के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य के 9 जिलों में 40 विद्यालयों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की एक पायलट परियोजना अनुमोदित की गई है। इस स्कीम के तहत लगभग छः हजार विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है।

32. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही दृष्टि से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्याशित विस्तार हुआ है। अध्यापक-छात्र अनुपात को बढ़ाने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापकों के 500 अतिरिक्त पद तथा सरकारी सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापकों के 338 पद स्वीकृत किये गये हैं। उच्चतर शिक्षा में नवप्रवर्तन और सुधारों से सम्बन्धित नीतिपरक मुद्दों पर सरकार को परामर्श देने के लिए उच्चतर शिक्षा परिषद् गठित की गई है।

33. माननीय सभासदो! हरियाणा देश के इस भाग में बड़ी तेजी से शिक्षा केन्द्र के रूप में उभर रहा है। सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी उच्चतर अध्ययन के क्षेत्र में एक अनूठा, आधुनिकतम केन्द्र बनने जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा को समर्पित कुछ मुख्य संस्थान हैं : द स्टेट इंस्टीच्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, द स्टेट इंस्टीच्यूट ऑफ फिल्म एण्ड टेलिविजन, द स्टेट इंस्टीच्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, द सैंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, इण्डियन इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमैंट, डिफैंस यूनिवर्सिटी और सैंट्रल यूनिवर्सिटी। कई निजी विश्वविद्यालय तथा व्यावसायिक संस्थान हैं, जोकि राज्य में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायता कर रहे हैं। कुल 6 निजी विश्वविद्यालय पहले से ही स्थापित हो चुके हैं और कई स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो और तकनीकी विश्वविद्यालयों नामतः दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल और वाई.एम.सी.ए. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद की स्थापना की गई है। राज्य में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कौशल विकास, विभिन्न प्रोद्यौगिकियों के उन्नयन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आई.एम.टी. रोहतक में फुटवीयर डिजाइन एण्ड डेवलपमैंट इंस्टीच्यूट, कुण्डली में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फूड टेक्नोलोजी, इन्टरप्रीन्योरशिप एण्ड मैनेजमैंट, सोनीपत में इण्डियन इंस्टीच्यूट ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलोजी, सोनीपत में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मानेसर में नेशनल ऑटोमोटिव टैस्टिंग एण्ड आर एण्ड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स जैसे प्रमुख संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं।

युवा एवं खेल

34. हमारे देश के अनुरूप हमारे राज्य में भी अपेक्षाकृत युवा जनसंख्या अधिक है। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत की 72 प्रतिशत आबादी 40 वर्ष से नीचे है और 47 प्रतिशत भारतीय 20 वर्ष से कम आयु के हैं। इस 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का लाभ हमें आगामी दशकों में मिलना तय है। यह जरूरी है कि युवा शक्ति की क्षमता का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए और युवाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने वर्ष 2012 को 'युवा वर्ष' घोषित किया है। सरकार ऐसी सभी गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करेगी, जिनसे युवा लड़कियों और लड़कों को लाभ मिल सके ताकि वे अपनी सही क्षमता को प्राप्त कर सकें। युवाओं की जरूरतों और उम्मीदों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं, गुणवत्तापरक शिक्षा, दक्षता विकास, रोज़गार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

35. मेरी सरकार खेलों को बढ़ावा देने को, युवाओं के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के तौर पर तथा सम्मिलित एवं सकारात्मक शासन की कुंजी के रूप में मानती है। खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम 'प्ले फॉर इण्डिया' को अपार सफलता मिली है। खेल एवं शारीरिक योग्यता परीक्षण के तीसरे चरण के लिए निर्णायक दौर में पहुंचने वाले खिलाड़ियों की संख्या वर्ष 2011 के 9439 से लगभग तीन गुणा बढ़कर 2012 में 25000 से भी अधिक हो गई है। सरकार खिलाड़ियों के लिए स्थान, समय और संसाधन अधिकार के तौर पर उपलब्ध करवाने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित

करने और इसे मजबूत बनाने के लिए निवेश किया है । श्रेष्ठ खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन से पुरस्कृत किया जाता है और उनको सरकार में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं । द फैडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने हरियाणा को खेल के क्षेत्र में 'वर्ष का सर्वोत्कृष्ट खेल राज्य' पुरस्कार के लिए चुना है । राज्य को एनडीटीवी से 'खेल प्रोत्साहन के लिए सर्वोत्कृष्ट राज्य' पुरस्कार मिला है ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

36. स्वास्थ्य विकास का एक अनिवार्य घटक है । मेरी सरकार राज्य में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के सभी प्रयास कर रही है । निःशुल्क संस्थागत प्रसूतियों तथा निःशुल्क परिवहन सुविधा के परिणामस्वरूप संस्थागत प्रसूतियां बढ़कर 77.2 प्रतिशत हो गई हैं । प्रत्येक माता और बच्चे पर कम्प्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर 'एमसीटीएस' के माध्यम से नजर रखी जा रही है । नवीनतम नमूना संसाधन सर्वेक्षण 2010 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 51 से घटकर 48 हो गई है । सरकार ने नवजात शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया है । राज्य में नौ नवजात देखभाल इकाइयां स्थापित की गई हैं तथा पांच और इकाइयां स्थापित की जा रही हैं । यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा जून, 2011 में मेवात से 'जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' शुरू किया गया था । नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अतिरिक्त हरियाणा ने राज्य में सभी बच्चों के लिए खसरा रोकथाम अभियान शुरू किया है । शिशु मृत्यु दर में कमी करने के उद्देश्य से आशा और ए.एन.एम. के माध्यम से एक नया गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है । ई.एस.आई. निगम द्वारा फरीदाबाद में 550 करोड़ रुपये की लागत से 500 बिस्तरों का एक अति आधुनिक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसके वर्ष 2013 तक चालू होने की सम्भावना है ।

37. सरकार चिकित्सकों और पराचिकित्सा कार्मिकों के महत्व के प्रति सजग है । तदनुसार चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं । चिकित्सकों के 285 नये पद सृजित किये गये हैं । मेवात, सोनीपत और करनाल में तीन नये मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं । सोनीपत और मेवात में मेडिकल कॉलेजों के भवनों का कार्य पूरा होने वाला है । सोनीपत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने कार्य करना शुरू कर दिया है । प्रशिक्षित नर्सों की उपलब्धता में सुधार के लिए सरकार का छः जिला अस्पतालों में नये नर्सिंग स्कूल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । गृह-आधारित नवजात देखभाल के प्रशिक्षण और विकास के लिए नार्वे-इण्डिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव और यूएनओपीएस के साथ एक समझौता किया गया है । प्रत्येक जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता 'यशोदा' उपलब्ध करवाई जाएगी । 24 जनवरी, 2012 को 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाहन शुरू करके रैफरल ट्रांसपोर्ट '102' का उन्नयन किया गया है । चालू वित्त वर्ष में '102' सेवा के द्वारा 2.97 लाख मरीजों को परिवहन की सुविधा प्रदान की गई, जिनमें से 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं थी ।

38. मुफ्त दवाइयां और सस्ते सर्जरी पैकेज के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने के परिणामस्वरूप वर्ष 2011 में बहिरंग रोगियों की संख्या बढ़कर 1.67 करोड़ और अन्तरंग रोगियों की संख्या 13.94 लाख हो गई । पानीपत, रिवाड़ी और नारनौल के तीन

जिला अस्पतालों के भवनों का उन्नयन किया जा रहा है। झज्जर और बहादुरगढ़ में भी नये अस्पतालों को चालू किया गया है। सात सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 145 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का भी निर्माण किया गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता

39. स्वास्थ्य कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का सामूहिक परिणाम है। सुरक्षित पेयजल और आम स्वच्छता इस सम्बन्ध में बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश के मरुस्थलीय और सूखा प्रभावित जिलों में पेयजल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन्दिरा गांधी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत 200 लीटर की पानी की टंकी और पानी का कनैक्शन मुफ्त दिया जाता है। इस स्कीम से अनुसूचित जातियों के 9.83 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। वर्ष 2011-12 में पेयजल आपूर्ति में संवर्धन के लिए 943 बस्तियों की पहचान की गई है।

40. जिला रिवाड़ी के 42 गांवों में पेयजल बढ़ोतरी की एक परियोजना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 22 कस्बों में पेयजल आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधाओं के सुधार का कार्य प्रगति पर है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत चयनित 14 कस्बों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति व सीवरेज सुविधाओं का कार्य मार्च 2013 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

41. मेरी सरकार सामाजिक सुरक्षा, खासकर समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान देती रहेगी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन को और अधिक पारदर्शी और लाभार्थी केन्द्रित बनाया गया है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्कीम के अन्तर्गत पात्रों के चयन की प्रक्रिया अब निरंतर चलती रहती है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। लाभार्थियों के लिए रिकार्ड संख्या में 19.2 लाख बैंक खाते खोले गये हैं। तथापि, समुचित बैंकिंग सुविधाएं विकसित होने तक लाभार्थियों में वितरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन की राशि सीधे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में जमा होगी।

42. मेरी सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करके उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति सब-प्लान के अन्तर्गत 2593.29 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

महिला एवं बाल विकास

43. मेरी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए समान रूप से वचनबद्ध है तथा सभी स्तरों पर लिंगभेद को दूर करने की दिशा में कार्य कर रही है। गिरता लिंगानुपात और कन्याओं की स्थिति चिंता का विषय है। नकद प्रोत्साहन स्कीम 'लाडली' के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 से

1,45,000 से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। पंचकूला जिले में गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना पायलट आधार पर शुरू की गई है।

44. बच्चों का कल्याण तथा उनकी विकास आवश्यकताएं मेरी सरकार की एक अन्य प्राथमिकता है। आंगनवाड़ी केन्द्र बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को अति आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र बिन्दु हैं। राज्य में लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों समेत 25,170 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह और आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के कल्याण के लिए हिसार, रोहतक, गुड़गांव और अम्बाला जिलों में महात्मा गांधी स्वावलम्बन पैंशन योजना शुरू की गई है।

श्रम कल्याण

45. प्रेरक औद्योगिक वातावरण के लिए सौहार्दपूर्ण श्रमिक सम्बन्ध अपरिहार्य हैं। सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों, औद्योगिक सुरक्षा तथा श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। अधिक पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न अधिनियमनों के अंतर्गत पंजीकरण तथा लाइसैंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। गुड़गांव और फरीदाबाद में श्रमिक सुविधा केन्द्र स्थापित किये गये हैं। ऐसे दो और केन्द्र सोनीपत में स्थापित किये जा रहे हैं। फरीदाबाद और रिवाड़ी में रैन बसेरे स्थापित किये जा रहे हैं।

46. हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को क्रियान्वित करने में एक अग्रणी राज्य है और इसे वर्ष 2009, 2010 और 2011 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा लगातार तीन बार 'प्रशस्ति-पत्र' प्रदान किये गये हैं। 'स्वास्थ्य बीमा योजना' लागू करके निर्माण श्रमिकों के लिए इस योजना का विस्तार करने वाला हरियाणा राष्ट्र का पहला राज्य बन गया है। भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' को लागू करने में राजस्थान की सहायता के लिए हरियाणा को 'परामर्शदाता' का दर्जा दिया है।

उद्योग एवं वाणिज्य

47. माननीय सभासदो! हमारा राज्य निवेशकों के लिए निरंतर पहली पसंद बना हुआ है। राज्य में प्रतिबद्ध निवेश के क्रियान्वयन की दर देशभर में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता के बावजूद वर्ष 2005 से राज्य में 59,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और लगभग 96,000 करोड़ रुपये का निवेश पाइप लाइन में है। राज्य में अभी तक 13,128 करोड़ रुपये का विदेशी पूंजीनिवेश हुआ है, जिसमें से 9,629 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक नीति, 2005 के क्रियान्वित होने के बाद हुआ है। राज्य से कुल निर्यात वर्ष 2009-10 के 43,679 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 48,530 करोड़ रुपये हो गया। औद्योगिक और निवेश नीति 2011 के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देने के लिए राज्य ने उद्योग के सहयोग से क्लस्टर्ज की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाये हैं। ये क्लस्टर्ज विभिन्न समूहों के लिए सांझा सुविधा केन्द्रों के रूप में काम करेंगे।

48. एचएसआईआईडीसी के प्रयासों को सम्बल प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्र में औद्योगिक कालोनियां विकसित करने के लिए तीन लाइसैंस दिये गये हैं। वर्ष के दौरान एचएसआईआईडीसी द्वारा आईएमटी रोहतक, बरही, बहादुरगढ़ और पानीपत में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का कार्य आबंटित किया गया। इसके अलावा, अन्य स्थानों पर भी कार्य प्रगति पर हैं। एचएसआईआईडीसी द्वारा श्रमिक आवास, फ्लेटिड फैक्ट्री और दक्षता विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया जारी है। औद्योगिक सम्पदाओं में कचरा उपचार और उपचारित पानी के पुनः प्रयोग की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

49. रोज़गार और निर्यात के स्रोत के तौर पर आई.टी. उद्योग के महत्व को समझते हुए और गुड़गांव के उत्तरी भारत में आई.टी. केन्द्र के रूप में उभरने से मेरी सरकार ने आई.टी. क्षेत्र के विकास के लिए विशिष्ट कदम उठाए हैं। सरकार गुड़गांव के विस्तार के रूप में आईएमटी मानेसर को समेकित करके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर तथा राज्य में कहीं भी सम्भावित आई.टी. गंतव्य के रूप में नये क्षेत्र खोलकर आई.टी. इंडस्ट्री के आधार को व्यापक बनाने के लिए नैसकॉम के साथ बातचीत कर रही है।

शहरी विकास

50. राज्य में विकास की एक प्रमुख विशेषता शहरीकरण में तीव्र बढ़ोतरी है। मेरी सरकार ने शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर और जन सेवाओं के उन्नयन के लिए कदम उठाए हैं। सरकार शहरी स्थानीय निकायों के न्यूनतम स्तर को मजबूत करने के लिए भी वचनबद्ध है। राजीव गांधी शहरी विकास मिशन, हरियाणा राज्यव्यापी शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन करने में सहायक हो रहा है। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा और वार्ड समितियां गठित करके पालिका के कार्यों में नागरिकों की भागीदारी को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना भी शुरू की है।

आवास

51. सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आवास की उपलब्धता आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। इस समय हरियाणा आवास बोर्ड विभिन्न शहरों में 11,510 मकानों का निर्माण कर रहा है, जिनमें से 5733 मकान बीपीएल परिवारों, 1969 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा 404 मकान निम्न आय वर्गों के लिए हैं। निजी कालोनाइजर्स के लाइसैंसशुदा क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 50 वर्ग मीटर के प्लाटों में से 50 प्रतिशत प्लॉट बीपीएल परिवारों के लिए फ्लैट्स के निर्माण हेतु हरियाणा आवास बोर्ड को हस्तांतरित किए गये हैं। हुडा ने 'आशियाना योजना' क्रियान्वित की है, जिसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को रिहायशी फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। इस योजना से 9728 परिवार लाभान्वित होंगे।

52. महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना ग्रामीण गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इस योजना के तहत अभी तक 3 लाख 80 हजार परिवारों को प्लाट आवंटित किए गए हैं। शेष पात्र परिवारों को प्लाट आवंटित करने की प्रक्रिया जारी है। चालू वित्त वर्ष में इन्दिरा आवास योजना के तहत 17,293 मकानों का निर्माण किया जाएगा।

सड़क एवं परिवहन

53. सरकार सड़कों एवं परिवहन सुविधाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा सड़कों को चौड़ा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। गुड़गांव-फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़-सोहना सड़क मार्ग के सुधार के लिए पहली बी.ओ.टी. सड़क परियोजना के 30 अप्रैल, 2012 तक पूरा होने की सम्भावना है। राय मलिकपुर (राजस्थान सीमा)-नारनौल-महेन्द्रगढ़-दादरी-भिवानी-खरक कोरिडोर को 1200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से चारमार्गी बनाने का कार्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत आवंटित किया गया है। यमुनानगर-लाडवा तथा लाडवा-करनाल सड़क को 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से चारमार्गी बनाने के लिए 'रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन' प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2005 से लेकर अब तक 605 करोड़ रुपये की लागत से 29 आर.ओ.बी. बनाए गए हैं तथा 869 करोड़ रुपये की लागत से 25 आर.ओ.बी. का कार्य प्रगति पर है।

54. भारत सरकार ने अगस्त, 2011 में दिल्ली मैट्रो का फरीदाबाद तक विस्तार किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। कुल 13.875 किलोमीटर लम्बी इस परियोजना की अनुमानित लागत 2494 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के सितम्बर, 2014 तक चालू होने की सम्भावना है। सरकार दिल्ली मैट्रो का विस्तार मुंडका (दिल्ली) से बहादुरगढ़ तक करने बारे भी भारत सरकार से बातचीत कर रही है। भारत सरकार ने इस परियोजना को दिल्ली मैट्रो चरण-III में शामिल करने पर विचार करने का निर्णय लिया है। सरकार ने उच्च गति मैट्रो के माध्यम से इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गुड़गांव से जोड़ने का भी निर्णय लिया है।

55. मोरनी क्षेत्र के लोगों की चिरलम्बित मांग को पूरा करने के लिए एक नियमित बस परिवहन सेवा शुरू की गई है। चरखी दादरी में हरियाणा राज्य परिवहन का एक नया डिपो स्थापित किया गया है। नूंह एवं पलवल में दो नए डिपो स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। लोकप्रिय वोल्वो बस सेवा की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 10 वोल्वो बसों के वर्तमान बेड़े का विस्तार करके 35 बसों तक किया जा रहा है।

56. भारत सरकार ने वाहनों का एक निरीक्षण एवं परीक्षण केन्द्र स्वीकृत किया है। हर वर्ष 1.35 लाख वाहनों के परीक्षण की क्षमता वाले इस केन्द्र की स्थापना रोहतक में 14 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी। रोहतक, बहादुरगढ़ तथा कैथल में चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के तीन संस्थान निर्माण के अन्तिम चरण में हैं। सरकार ने भिवानी में भी ऐसा ही एक संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

पर्यटन

57. सूरजकुण्ड वार्षिक शिल्प मेले में अब अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी होती है। इस वर्ष मेले में थाइलैण्ड भागीदार देश था। बारह से अधिक अन्य देशों ने भी इसमें हिस्सा लिया। कुरूक्षेत्र में एक अत्याधुनिक डिजिटल गैलरी स्थापित की गई है। पानीपत-कुरूक्षेत्र-पिंजौर पर्यटन सर्किट का पहला चरण पूरा होने वाला है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए यमुनानगर-पंचकूला-पौंटा साहिब का विकास एक समेकित विशाल पर्यटन सर्किट के रूप में किया जा रहा है। रोहतक में होटल प्रबंधन संस्थान को शीघ्र ही चालू किया जा रहा है।

रक्षा कार्मिकों का कल्याण

58. मेरी सरकार रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। राज्य एवं जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से सरकार भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याणार्थ अनेक कार्यक्रम चला रही है। सरकार ने शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त नकद राशि एवं वार्षिकी को और बढ़ा दिया है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त नकद राशि एवं वार्षिकी देशभर में सर्वाधिक है।

शासन तथा कानून व्यवस्था

59. विकासात्मक पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुशासन आवश्यक शर्त है। विकेन्द्रीकरण को सुविचारित रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला सोनीपत में खरखौदा, जिला हिसार में बरवाला और जिला कुरूक्षेत्र में शाहबाद, तीन नए उप-मंडल बनाए गए हैं। सरकार ने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित किया है, जिसके माध्यम से राज्यभर में लगभग 1400 सरकारी कार्यालयों को जोड़ा गया है। सरकार विभिन्न नागरिक सेवाओं के प्रभावी निष्पादन के लिए ई-शासन को प्रोत्साहित कर रही है। लोगों को परेशानी मुक्त सेवाएं उपलब्ध करवाने के मद्देनजर, सरकार ने लाइसैंससुदा रिहायशी/औद्योगिक प्लाटिड कॉलोनियों में भवन नक्शों की स्वीकृति के लिए स्वप्रमाणीकरण सुविधा शुरू की है। सरकार ने सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी के लिए 36 क्षेत्रों की पहचान की है। आबकारी एवं कराधान विभाग के कम्प्यूटरीकरण हेतु एक अन्य मुख्य परियोजना क्रियान्वयन के लिए ली गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा दक्षता सुनिश्चित करने के मद्देनजर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने की प्रक्रिया में है। लोक सेवा प्रणाली में नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा राज्य नवप्रवर्तन परिषद् गठित की गई है।

60. मेरी सरकार सभी नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण अनिवार्य है। राजमार्गों, अन्य मुख्य सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों इत्यादि पर प्रभावी तरीके से निगरानी रखने के लिए आठ बड़े शहरों में 'शहर निगरानी प्रणाली' स्थापित की जा रही है। राज्य पुलिस द्वारा 'क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम' नामक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। गुड़गांव एवं फरीदाबाद की तर्ज पर अम्बाला तथा पंचकूला में पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू की गई है।

61. माननीय समासदो! हरियाणा अन्य राज्यों की तुलना में निर्णायक रूप से अग्रणी है। हरियाणा की तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का प्रभाव देशभर में महसूस किया जा रहा है। मेरी सरकार त्वरित, अधिक समावेशी तथा समान विकास के लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करती है। मुझे विश्वास है कि आपकी परिचर्चा रचनात्मक होगी और हरियाणा की विकास प्रक्रिया को एक नई प्रेरक शक्ति प्रदान करेगी।

मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

जय हिन्द!

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा के सत्र और इस सत्र के बीच बहुत सारे हमारे साथी, सहयोगी, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद हमारे को छोड़कर चले गये हैं। मैं इनके बारे में शोक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखता हूँ :-

कर्नल राव राम सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री कर्नल राव राम सिंह के 30 जनवरी, 2012 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 9 अगस्त, 1925 को हुआ। वह सन् 1977 तथा 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह 1977 से 1978 तक तथा 1982 से 1987 तक हरियाणा मंत्रीमण्डल में मंत्री रहे तथा मंत्रीमण्डल में रहते हुए उन्हें शिक्षा, भाषा, नागरिक विमानन, मत्स्य, पर्यटन, पंचायत एवं विकास तथा परिवहन जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग सम्भालने का गौरव हासिल हुआ। वह 15 मई, 1978 से 24 जून, 1982 तक इस गरिमामयी हरियाणा विधान सभा सदन के अध्यक्ष रहे। वह सन् 1991 तथा 1996 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। वह सन् 1992 से 1996 तक केन्द्र में बंजर भूमि विकास मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री भी रहे। वह एक निष्ठावान समाजसेवी और गरीब वर्ग के लोगों के सच्चे हितैषी थे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

पण्डित चिरंजी लाल शर्मा, भूतपूर्व मंत्री एवं सांसद

यह सदन भूतपूर्व मंत्री एवं सांसद पण्डित चिरंजी लाल शर्मा के 12 दिसम्बर, 2011 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 13 सितम्बर, 1923 को जिला सोनीपत के गांव आहुलाना में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में बी.ए. ऑनर्स तथा एल.एल.बी. की डिग्री प्राप्त की और एक अधिवक्ता के रूप में उनकी विशेष पहचान बनी। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन व निष्ठा से देश तथा प्रदेश के सामाजिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में अपना अहम् स्थान बनाया।

वह सन् 1962 में पंजाब विधान सभा तथा सन् 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह सन् 1972 से 1977 तक हरियाणा मंत्रीमण्डल में मंत्री रहे तथा मंत्रीमण्डल में रहते हुए उन्हें राजस्व, लोक निर्माण विभाग, भाषा, शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग सम्भालने का गौरव हासिल हुआ। वह सन् 1980, 1984, 1989 तथा 1991 में लगातार चार बार करनाल लोक सभा क्षेत्र से सांसद चुने गए जो उनकी

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
लोकप्रियता का परिणाम था। पण्डित चिरंजी लाल का स्वच्छ राजनैतिक जीवन, स्पष्टवादिता एवं सादगी बेमिसाल थी। वे अध्यक्ष महोदय के पूजनीय पिता थे।

वह किसानों, मजदूरों व समाज के कमजोर वर्गों के सच्चे हितैषी थे तथा उन्होंने उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए। शिक्षा के प्रति विशेष लगाव होने के कारण वह अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के साथ लम्बे समय तक जुड़े रहे, जिनमें गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान, रोहतक, छोटू राम आर्य कॉलेज, सोनीपत, जनता हाई स्कूल, गन्नौर तथा गोस्वामी गणेशदत्त कॉलेज, चण्डीगढ़ शामिल हैं।

वह सादगी एवं सच्चाई की प्रतिमूर्ति, मृदुभाषी एवं मिलनसार प्रवृति के व्यक्ति थे। उन्होंने एक विधायक, मन्त्री तथा सांसद के रूप में समर्पण की भावना से कार्य करते हुए सदैव ही दूरदर्शिता का परिचय दिया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मनी राम बागड़ी, भूतपूर्व संसद सदस्य

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री मनी राम बागड़ी के 31 जनवरी, 2012 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1 जनवरी, 1920 को हुआ। वह एक महान् स्वतन्त्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह सन् 1953 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह सन् 1962, 1977 तथा 1980 में लोक सभा के सदस्य भी चुने गए। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो समाज के कमज़ोर एवं गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे तथा उनके उत्थान के लिए अथक प्रयास किए।

उनके निधन से देश एक महान स्वतन्त्रता सेनानी, अनुभवी सांसद एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मांगे राम, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री मांगे राम के 27 अगस्त, 2011 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 फरवरी, 1940 को हुआ। वह सन् 1982 और 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1990-91 के दौरान हरियाणा मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री रहे। गरीबों का कल्याण और समाज सेवा उनका एक प्रमुख ध्येय था।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ब्रह्म सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व उप-मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व उप-मंत्री श्री ब्रह्म सिंह के 30 दिसम्बर, 2011 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

वह सन् 1967 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा हरियाणा मंत्रिमण्डल में उप-मंत्री बने। वह एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने जीवन पर्यन्त समाज के कमजोर व गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए।

उनके निधन से राज्य एक विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री पीरू राम, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री पीरू राम के 11 जनवरी, 2012 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 7 मार्च, 1954 को हुआ। वह 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह अक्तूबर 1989 से जून 1990 के दौरान संसदीय सचिव तथा जुलाई 1990 से अप्रैल 1991 तक मुख्य संसदीय सचिव भी रहे। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा गरीबों की सेवा उनका प्रमुख ध्येय था। वे गरीब एवं कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ज्ञान चन्द ओड, हरियाणा विधान सभा के सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री ज्ञान चन्द ओड के 12 सितम्बर, 2011 को हुए आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 24 सितम्बर, 1943 को हुआ। वह सन् 2005 तथा 2009 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे कमज़ोर व गरीब वर्ग के लोगों के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने जीवन पर्यन्त समाज के गरीब लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए संघर्ष किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

राव विजय वीर सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य राव विजय वीर सिंह के 16 दिसम्बर, 2011 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 18 अगस्त, 1936 को हुआ। वह सन् 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने जीवन पर्यन्त समाज के कमज़ोर व गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन महान श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा करते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. श्री रामदिया, गोहाना, जिला सोनीपत।
2. श्री जीत राम, गांव भंडेरी, जिला सोनीपत।
3. श्री चांद राम, गांव हुल्लाहेड़ी, जिला सोनीपत।
4. श्री दया सिंह, गांव रिढाऊ, जिला सोनीपत।
5. श्री जय दयाल, खरखौदा, जिला सोनीपत।
6. श्री दीवान सिंह, गांव खांडा, जिला सोनीपत।
7. श्री बिशम्भर दयाल, गांव चिल्हड़, जिला रेवाड़ी।
8. श्री नत्थू सिंह, गांव गोठड़ा टप्पा डहीना, जिला रेवाड़ी।
9. श्री गणेशी राम, गांव राजियाकी, जिला रेवाड़ी।
10. श्री रामपत, गांव गोकलगढ़, जिला रेवाड़ी।
11. श्री शांति स्वरूप, रेवाड़ी।
12. श्री राम सिंह, गांव चन्देनी, जिला भिवानी।
13. श्री सन्त लाल, गांव मिर्च, जिला भिवानी।
14. श्री सम्पत राम, गांव कुशलपुरा, जिला भिवानी।
15. पंडित गोवर्धन दास, गांव ड्राडावास, जिला गुड़गांव।
16. श्री मनोहर लाल, गांव मोकलवास, जिला गुड़गांव।
17. श्री सुरजा, गांव मानेसर, जिला गुड़गांव।

18. श्री हरि राम, गांव दुल्हेड़ा, जिला झज्जर ।
19. श्री गुरबख्श सिंह, यमुनानगर ।
20. श्री झन्डू राम, गांव बड़ौली, जिला फरीदाबाद ।
21. श्री बलदेव शास्त्री, रोहतक ।
22. श्री रत्तन लाल, गांव बलम्भा, जिला रोहतक ।
23. श्री बदन सिंह, गांव बधावड़, जिला हिसार ।
24. श्री ओम प्रकाश, पानीपत ।
25. श्री जगदीश प्रसाद, फरीदाबाद ।
26. श्री मामचन्द, गांव अकबरपुर, जिला महेन्द्रगढ़ ।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा एवं देश की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. सीनियर कमांडेंट अजीत पवार, गांव पिलाना, जिला रोहतक ।
2. निरीक्षक रामौतार, गांव चिन्डालिया, जिला महेन्द्रगढ़ ।
3. हवलदार मुख्तयार सिंह, गांव बांसा, जिला करनाल ।
4. हवलदार वीरेन्द्र सिंह, गांव उखलचना, जिला झज्जर ।
5. लांस नायक बलराम सिंह, गांव पिल्लूखेड़ा, जिला जीन्द ।
6. सिपाही संदीप कुमार, गांव बालावास जाट, जिला रेवाड़ी ।
7. सिपाही वीरेन्द्र सिंह, गांव ढाबी टेक, जिला जीन्द ।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर उन्हें शत्-शत् नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

स्कूल वैन दुर्घटना

यह सदन 2 जनवरी, 2012 को अम्बाला जिले के साहा-शाहजाद हाईवे पर स्कूल वैन एवं ट्रक की टक्कर में हुए एक दर्दनाक हादसे में मारे गए 13 मासूम एवं निर्दोष बच्चों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है । यह एक ऐसी हृदय विदारक घटना थी, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया । इन अबोध बच्चों के निधन से जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई कर पाना असम्भव है ।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा के राजस्व मंत्री श्री महेन्द्र प्रताप सिंह के छोटे भाई श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह; पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉ० रघुवीर सिंह कादियान की सास श्रीमती चन्द्रवती; पूर्व सांसद सरदार लछमण सिंह के भतीजे श्री गुरपाल सिंह; पूर्व मंत्री श्री मनी राम गोदारा की पत्नी श्रीमती शांति देवी; पूर्व मंत्री श्री सुभाष बत्रा की बहन श्रीमती यश जुनेजा; पूर्व संसदीय सचिव श्री दूड़ाराम के दामाद डॉ० गौरव बिश्नोई; तथा पूर्व विधायक श्री दरियाव सिंह राजौरा के भाई श्री प्रेम सिंह के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला (उचानाकलां) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे इस सदन के बहुत से अच्छे और सम्मानित सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहे। वे अगले संसार में चले गये हैं। अच्छे शिक्षाविद्, अच्छे स्वतंत्रता सेनानी और अच्छे शहीद जिन पर यह सदन गर्व कर सकता है वे आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री कर्नल राव राम सिंह के 30 जनवरी, 2012 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला है। वे 1977 और 1982 के बीच हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। इस सदन के सभापति के तौर पर भी उन्होंने इस सदन की सेवा की। वे दो दफा पार्लियामैंट के मैम्बर भी रहे और केन्द्रीय सरकार में मंत्री भी रहे। वे एक नेक इंसान थे, अच्छे समाजसेवी थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे। उनके निधन से आज हरियाणा प्रदेश एक अनुभवी नेता से वंचित हो गया है। उनके निधन से बहुत क्षति हुई है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, पण्डित चिरंजीलाल शर्मा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। पण्डित चिरंजीलाल शर्मा मुस्तरका पंजाब में भी सदन के सदस्य रहे। 1962 में प्रोग्रैसिव इंडीपैंडैंट पार्टी के तौर पर भी वे सदस्य चुने गये। सरदार प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ भी उन्होंने बड़े बुलंद हौंसले के साथ लड़ाई लड़ी। सन् 1962 में मुस्तरका पंजाब विधान सभा में जब मेरे पूज्य पिता चौधरी देवी लाल जी अपोजीशन के लीडर थे उस समय पण्डित चिरंजी लाल शर्मा उनके डिप्टी लीडर थे। उनके साथ हमारे राजनीतिक और पारिवारिक तौर पर बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। मुझे उनका बहुत सानिध्य प्राप्त रहा और मुझे उनकी सेवा करने का बहुत अवसर मिला। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं और दुर्भाग्य से मैं उनको आखिरी पुष्प अर्पित करने में भी असमर्थ रहा क्योंकि उस समय मैं विदेश में गया हुआ था। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। यह पूरा सदन एक शिक्षाविद, एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर और एक अच्छे वक्ता से वंचित हो गया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्री मनी राम बागड़ी, भूतपूर्व सदस्य थे तथा वे मुस्तरका पंजाब सभा के भी सदस्य रहे। वे 3 बार पार्लियामैंट के सदस्य रहे। वे एक अच्छे राजनेता के साथ-साथ अच्छे वक्ता

भी थे और एक अच्छे संगठनकर्ता भी थे। उनके निधन से एक महान् स्वतंत्रता सेनानी, अनुभवी सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से यह प्रदेश वंचित रह गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री माँगे राम इस सदन के सदस्य भी रहे उनको मंत्री मण्डल में रहने का भी अवसर मिला, वे एक अच्छे इन्सान थे। उनके निधन से यह प्रदेश एक अनुभवी विधायक और कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री ब्रह्म सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व उप-मंत्री भी रहे और एक विधायक के तौर पर, कुशल प्रशासक के तौर पर प्रदेश की सेवा की तथा उन्होंने जीवन पर्यन्त समाज के कमजोर व गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उनके निधन से यह प्रदेश एक अनुभवी शासक और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री पीरू राम, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव रहे और उन्हें विधानसभा के सदस्य के रूप में इस हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। वे एक नेक इन्सान थे। गरीब वर्ग में पैदा होने की वजह से गरीबों के प्रति उनको बहुत संवेदना और पीड़ा थी। उनके निधन से यह प्रदेश उनकी सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री ज्ञान चन्द ओड, हरियाणा विधान सभा के मौजूदा सदस्य थे, आज वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उनकी माताश्री श्रीमती जट्टी बाई का भी निधन हो गया है, मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा कि उनके नाम को भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री विजय वीर सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने जीवनपर्यन्त समाज के कमजोर व गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज समूचे देश के लोग उनको संवेदना प्रकट करते हैं लीडर ऑफ दी हाऊस के द्वारा इस पुस्तिका में छपे श्री रामदिया, गोहाना जिला सोनीपत से लेकर क्रम संख्या 26 पर श्री भामचन्द, गांव अकबरपुर, जिला महेन्द्रगढ़ तक जितने भी नाम लिये गये हैं मैं भी अपने आपको उनसे जोड़ता हूँ। यह पूरा सदन उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। हरियाणा प्रदेश के लोग आजीवन उनके कृतज्ञ रहेंगे। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

हरियाणा के उन शहीदों पर हमको गर्व है जिन्होंने देश की आन, मान और मर्यादा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। सीनियर कमांडेंट अजीत पवार से लेकर सिपाही वीरेन्द्र सिंह, गांव ढाबी टेक, जिला जीन्द तक, जितने भी शहीदों के नाम लिखे हुये हैं उन सबको यह सदन शत्-शत् नमन करता है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, स्कूल वैन दुर्घटना में जो 13 बच्चे मारे गये उससे समूचे देश के हर नागरिक को बहुत पीड़ा हुई। यह एक ऐसी हृदय विदारक घटना थी जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। इन बच्चों के निधन से जो क्षति हुई उसकी भरपाई कर पाना असम्भव है। परमात्मा उनके परिवारों के सदस्यों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

मैं, हरियाणा के राजस्व मंत्री, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह के छोटे भाई, श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं विधायक, डॉ० रघुवीर सिंह कादियान की सास श्रीमती चन्द्रावती, पूर्व सांसद सरदार लछमण सिंह के भतीजे श्री गुरपाल सिंह, पूर्व मंत्री श्री मनी राम गोदारा की पत्नी श्रीमती शांति देवी, पूर्व मंत्री श्री सुभाष बत्रा की बहन श्रीमती यश जुनेजा, पूर्व संसदीय सचिव श्री दूड़ाराम के दामाद डॉ० गौरव बिश्नोई तथा पूर्व विधायक श्री दरियाव सिंह राजौरा के भाई श्री प्रेम सिंह के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य श्री बी.एल. सैनी के ससुर श्री के.आर. सैनी के निधन पर भी मुझे गहरा दुःख है। मेरा अनुरोध है कि उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये। धन्यवाद।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बीच जिन लोगों ने अपना जीवन रहते देश और समाज के लिए अपना योगदान दिया है और आज वे हमें छोड़कर चले गये हैं, उनके लिए सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं मैं भी उसमें अपने दल की तरफ से शामिल होता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कर्नल राव राम सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री जो दो बार विधायक रहे, दो बार सांसद रहे, हमारे इस गरिमामय सदन के अध्यक्ष भी रहे, मैं उनके प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। पंडित चिरंजी लाल शर्मा, भूतपूर्व मंत्री एवं भूतपूर्व सांसद, जो दो बार विधायक रहे, चार बार लगातार सांसद रहे। वे सामाजिक, राजनैतिक और जो गरीब लोग हैं उनके लिए सदा संघर्ष करते रहे, अनेकों शिक्षण संस्थानों से भी वे जुड़े रहे। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन उनका संस्कार हुआ, मैं भी वहां गया था। मैंने देखा था कि वहां पर हर आँख नम थी। सर, ये आँसू बहुत कीमती चीज हैं। ये कोई किसी के लिए यूँ ही नहीं बहाता, जिसने किसी का कुछ न कुछ किया होता है, किसी का दुख दर्द बांटा होता है। किसी के लिए उसके दुख में खड़ा हुआ होता है उसी के लिए ही कोई आँसू बहाता है। अध्यक्ष महोदय, इतनी लंबी राजनीति पारी में निष्कलंक राजनीति करना, उसके ऊपर कोई अंगुली न उठा सके ये आज के समय में बड़ा कठिन काम है परन्तु उन्होंने ये हासिल किया। इस राजनीतिक वातावरण में भी उन्होंने स्वच्छ राजनीति

की तथा अपना अच्छा नाम पैदा किया और संस्कारित जीवन उन्होंने व्यतीत किया, मैं उनके निधन पर शोक प्रकट करता हूं तथा मैं अपने दल की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मनी राम बागड़ी, भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री मांगे राम, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्री ब्रह्म सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व उपमंत्री, श्री पीरू राम, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव, श्री ज्ञान चन्द ओड हरियाणा विधान सभा के मौजूदा सदस्य, राव विजय वीर सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर मैं अपने दल की तरफ से शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता सेनानी जिनकी बदौलत आज हम आजाद हैं, जिनकी बदौलत आज हमारा देश आजाद होकर आगे बढ़ रहा है जिनकी बदौलत आज हम शान से अपना राष्ट्रीय ध्वज लहरा सकते हैं वे स्वतंत्रता सेनानी आज हमें छोड़कर चले गये और उनकी सूचियां यहां प्रस्तुत की गई हैं मैं अपने दल की तरफ से उनके प्रति भी शोक प्रकट करता हूँ। हरियाणा के शहीद जो अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए जिन्होंने बलिदान दिये उन सबके प्रति भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 2 जनवरी को साहा में स्कूल वैन दुर्घटना हुई जिसमें 13 मासूम बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, मारे गये, मैं उनके प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मां बाप बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं मुख्यमंत्री जी*******

Mr. Speaker : These remarks should not be recorded. Hon'ble Members, it is very solemn affairs and we should restrict ourselves with the obituary references. No personal comments please.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई कमेंट नहीं किया मैं तो केवल अपने हृदय की वेदना प्रकट कर रहा था।

Shri Bhupinder Singh Hooda : Sir, it should not be recorded. He should have sympathy for them but he is making politics on it.

Shri Anil Vij : Speaker Sir,******

Mr. Speaker : It is not to be recorded. Mr. Vij, please resume your seat. This is a very solemn occasion on which we are paying respect to the departed souls. You must restrict yourselves.

श्री अनिल विज : सर, मैंने अपने हृदय की वेदना प्रकट की है।

Mr. Speaker : Don't politize it.

Shri Anil Vij : Sir, I am not politicizing.

Mr. Speaker : You will not get gain anything out of it. You will not get any capital out of it.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। हद हो गई सर। हम श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते, दिल का दुख भी व्यक्त नहीं कर सकते। मैं उस स्कूल वैन दुर्घटना में मारे गये बच्चों के बारे में भी अपने दल की तरफ से भी हार्दिक दुख प्रकट करता हूँ। सर, जो अन्य नाम सदन के नेता द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उनके प्रति भी अपने दल की तरफ से हार्दिक दुःख प्रकट करता हूँ।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अनिल विज जी, सारे बच्चे मैडीकल कालेज चंडीगढ़ में एडमिट थे। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर गये।

Mr. Speaker : I have already observed that this is not in good taste. The remarks are totally unsavory and this should not be done on such solemn occasion.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जो अन्य सदस्यों के नाम सदन के नेता ने प्रस्तुत किये हैं मैं उन सबके प्रति भी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही श्री घनश्याम सर्राफ की बहन निर्मला गोयल के आकस्मिक निधन पर अपने दल की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्रीमती रेणुका बिश्नोई (आदमपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करती हूँ तथा शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार के सदस्यों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

16.00 बजे **Mr. Speaker :** Hon'ble Members, I associate myself with the obituary references made by the Hon'ble Chief Minister and the feelings expressed by other members of the House. During the last Session and the present Session, many renowned personalities have passed away.

I feel deeply grieved on the sad demise of Col. Rao Ram Singh, former Minister of State; Pandit Chiranji Lal Sharma, former Minister and Member of Parliament; Shri Mani Ram Bagri, Shri Mange Ram former Minister of State, Haryana, Shri Brahm Singh, former Deputy Minister of Haryana; Shri Piru Ram, former Chief Parliamentary Secretary, Haryana; Shri Gian Chand Gadh, sitting member of the House, Rao Vijay Vir Singh, former Member of the Haryana Legislative Assembly; freedom fighters and martyrs of Haryana; innocent children died in school van tragedy and relatives of Revenue Minister, Member of Haryana Vidhan Sabha, Ex-M.Ps., Ex-Ministers, Ex-Parliamentary Secretaries and Ex-MLAs whose names have been mentioned by the Hon'ble Chief Minister.

Col. Rao Ram Singh, was a disciplined Army Officer who was elected to this House two times and served this House as its Speaker for about 4 years. He remained Minister in Haryana and Union Minister of State for about 10 years. He was an able administrator who was committed to social service. Pandit Chiranji Lal Sharma who was my father and I need not to say much about him as all of you know him very well. His death is irreparable personal loss to me. Shri

Mani Ram Bagri who was a great freedom fighter actively participated for the freedom of the country. He was elected to Punjab Vidhan Sabha once and to Lok Sabha thrice. He was greatly attached with the downtrodden and poorer sections of the society and always committed to work for them.

Shri Mange Ram, Shri Barhm Singh, Shri Piru Ram were former members of this House and they also served the Haryana State in various capacities as Minister of State, Deputy Minister and Chief Parliamentary Secretary respectively. They were great social workers dedicated to the upliftment of the society. Shri Gian Chand Oadh was a sitting member of the House. He was also elected to the last assembly. He was a very simple and soft-spoken person and was also a great social worker.

Rao Vijay Vir Singh, was elected to this House once. He was also a great social worker and able legislator.

The freedom fighters and the martyrs are the foundations of the civil society in which selfless people work without caring for their lives and are always prepared for any sacrifice. The society cannot re-pay their sacrifices except by following their principles of life. Loss of innocent children is not only pathetic for the families to which they belonged but it is also a great loss of future sincere citizens.

We have lost many dears and nears and their absence will be felt by all of us for a long time.

I pray to the Almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. I have also included the names in the obituary references suggested by the various members who were not part of the record or the speech of the Leader of the House. Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(At this stage, the House stood up in silence for two minutes as a mark of respect and to pay homage to the departed souls.)

घोषणाएं :-

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज़ के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons :–

1. Prof. Sampat Singh, MLA
2. Shri Anand Singh Dangi, MLA
3. Shri Ram Pal Majra, MLA
4. Smt. Kavita Jain, MLA

(ii) सदस्य का त्याग-पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 58(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Haryana Legislative Assembly, I have to inform the House that Shri Kuldeep Bishnoi, MLA has resigned from his seat in Haryana Legislative Assembly vide his letter dated 24.10.2011, which was accepted by me from the same date.

(iii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have to inform the House that I have received an intimation from Shri Gopal Kanda, Minister of State for Urban Local Bodies, Haryana, in which he has expressed his inability to attend the Sitting of House today on 23.2.2012 due to his ill health.

(ख) सचिव द्वारा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Secretary will make an announcement.

सचिव : मान्यवर, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने अगस्त, 2011 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ :-

1. The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2011.
2. The Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 2011.
3. Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill, 2011.
4. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2011.
5. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2011.
6. The Haryana School Teachers Selection Board Bill, 2011.
7. The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2011.
8. The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2011.
9. The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2011.

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met at 11.00 A.M. on Thursday, the 23rd February, 2012 in the Chamber of the Hou'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn

at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesdy, Thursday and Friday will meet at 10.00 A.M. and adjourn at 2.00 P.M. without question being put.

On Thursday, the 23rd February, 2012 the Assmebly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of business entered in the List of Business for the day.

The Committee further recommends that on Friday, the 9th March, 2012, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business on 23rd & 24th February, 2012, 1st, 2nd, 5th to 7th and 9th March, 2012 be transacted by the Sabha as under :—

THE HOUSE WILL MEET IMMEDIATELY HALF AN HOUR AFTER THE CONCLUSION OF THE GOVERNOR'S ADDRESS ON THE 23RD FEBRUARY, 2012.	1. Oath/Affirmation by a Member. 2. Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House. 3. Obituary References. 4. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 5. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 6. Presentation of fourth Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon. 7. Presentation of Priliminary Report of Committee of the House to examine the Irregularities committed by Trusts Societies of family members of Shri Om Parkash Chautala, MLA.
FRIDAY, THE 24TH FEBRUARY, 2012 (10.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under rule-121. 3. Discussion on Governor's Address.
SATURDAY, THE 25TH FEBRUARY, 2012	HOLIDAY
SUNDAY, THE 26TH FEBRUARY, 2012	HOLIDAY
MONDAY, THE 27TH FEBRUARY, 2012	No Sitting
TUESDAY, THE 28TH FEBRUARY, 2012	No Sitting
WEDNESDAY, THE 29TH FEBRUARY, 2012.	No Sitting

[Mr. Speaker]

THURSDAY, THE 1ST MARCH, 2012 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under rule-121 suspension of rule 30. 3. Resumption of discussion on Governor's Address.
FRIDAY, THE 2ND MARCH, 2012 (10.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks. 3. Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2011-12.
SATURDAY, THE 3RD MARCH, 2012	HOLIDAY
SUNDAY, THE 4TH MARCH, 2012	HOLIDAY
MONDAY, THE 5TH MARCH, 2012 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Budget Estimates for the year 2012-13.
TUESDAY, THE 6th MARCH, 2012 (10.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Discussion on Budget Estimates for the year 2012-13. 3. Presentation of Reports of the Assembly Committees.
WEDNESDAY, THE 7TH MARCH, 2012 (10.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of Discussion on Budget Estimates for the year 2012-13 and Finance Minister's reply and Voting on Demands for Grants for the year 2012-13.
THURSDAY, THE 8TH MARCH, 2012	HOLIDAY
FRIDAY, THE 9TH MARCH, 2012 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 15 regarding Non-stop Sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die. 4. Papers to be laid, if any. 5. Presentation of Reports of the Assembly Committees. 6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary

Estimates (2nd Instalment) for the year 2011-12.

7. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2012-2013.
8. Legislative Business.
9. Any other Business."

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Parliamentay Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Mr. Arora do you want to say something ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, साल में सैशन के ये दिन मात्र ऐसे दिन होते हैं जिसमें हाउस के सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। सभी सदस्य अपने अपने विधान सभा क्षेत्रों से चुनकर आए हैं और अपनी बात यहां रखना चाहते हैं। यहां गवर्नर एड्रैस आया है और उस पर चर्चा होगी। बजट पर भी यहां चर्चा होनी है। एप्रोप्रिएशन बिल भी यहां आएगा और उस पर भी चर्चा होनी है। इस कार्यक्रम में केवल नौ सिटिंग्ज दी गई हैं जो कि बहुत कम हैं। अध्यक्ष महोदय, पता नहीं ये क्यों जल्दी करते हैं। इस कार्यक्रम के बीच में कुछ दिन सैशन नहीं रखा गया है। शायद ये चुनावों में जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं परन्तु सैशन को और आगे बढ़ाया जा सकता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के नेता बी.ए.सी. की मीटिंग में मौजूद थे। बी.जे.पी. के नेता भी मीटिंग में मौजूद थे और यह रिपोर्ट यूनानीमसली है। ये अपनी पार्टी के नेता से सहमत नहीं हैं तो कम से कम उनसे चर्चा करके ही यहां आएं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता ने भी बी.ए.सी. की मीटिंग में सैशन की अवधि बढ़ाने के लिए कहा था लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के नेता बी.ए.सी. की मीटिंग में मौजूद थे। बी.जे.पी. के नेता भी मौजूद थे। यह यूनानीमस रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि ये अपनी पार्टी के नेता से सहमत नहीं हैं। इन्हें चर्चा करके आना चाहिए था। There was no dissension (Intervention). I disagree, I am ready to go on record. There was no dissent, Ch. Om Parkash Chautala was present and he concurred and so did Mr. Gujjar.

Mr. Speaker : Mr. Arora you can go through the minutes of the meeting. The Hon'ble Leader of the Opposition was present and there was no opposition to the agenda that we fixed.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, हमारे नेता ने B.A.C. में भी कहा कि सैशन का यह समय कम है लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अब सदन में हम सब लोग कह रहे हैं कि सैशन का समय बढ़ाया जाये, आप हमारी बात सुन लें।

Mr. Speaker : I will take the sense of the House.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : हम सभी विधायक जनता की बात कहने के लिए यहां चुनकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, 90 विधायकों में से मिनिस्टर्ज को निकाल दें तो सभी विधायकों ने अपने-अपने हल्के की बात यहां कहनी है इसलिए आप से प्रार्थना है कि सैशन का समय बढ़ाया जाये।

Mr. Speaker : Alright. Certainly, you will see that you will get maximum time to speak.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यदि सैशन का समय बी.ए.सी. के मुताबिक ही होगा तो हमें अपनी बात कहने का पूरा समय नहीं मिलेगा।

Mr. Speaker : No, no, we will take the sense of the House.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Arora Sahib has been the Speaker of the House also. Once the Party's leader is present in the meeting of the Business Advisory Committee and he is concurred, then the party is never raised the issue on the floor of the House. That is the practice and the precedent of the House.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, नहीं ऐसी बात नहीं है।

Shri Randeep Singh Surjewala : He could have recorded his dissent. He did not even record his dissent. He did not say anything.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ——

Mr. Speaker : Ram Pal Ji, did you stand up after getting my permission or you have stood up on your own ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं तो आप से यही पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए परमिशन दी है या नहीं ?

Mr. Speaker : I have to hear Mr. Vij first.

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बी.ए.सी. की रिपोर्ट पर बोलना चाहता हूँ। आजादी प्राप्ति के बाद हमने पार्लियामैंटरी सिस्टम ऑफ डैमोक्रेसी को एडोप्ट किया यानि जनता अपनी समस्याओं को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचायेगी। (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Vij Sahib, should get time to make long speeches? His leader was present in the B.A.C. meeting. His leader is sitting right to his side in the House. His leader's consent is there. I am saying on the floor of the House. The leader of the BJP is present in the House.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमें सदन में भी नहीं बोलने दिया जा रहा । अध्यक्ष महोदय, आप ही बतायें कि क्या सदन में बोलने का हमारा अधिकार नहीं है । मैंने अभी अपनी बात शुरू भी नहीं की है और मंत्री महोदय पहले ही खड़े हो गये ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कोई भी अपनी पार्टी के लीडर की बात नहीं मान रहा । Your Leader is here. Let him say he did not concur with the Report.

Shri Anil Vij : Sir, let me conclude. Speaker has allowed me to speak. After my speech you can say anything if you want to say.

Mr. Speaker : Mr. Vij, the Parliamentary Affairs Minister has pointed out that the Leader of your party was present in the meeting and he did not say anything in this regard.

श्री अनिल विज : सर, क्या आप हमें अपनी पूरी बात कहने का मौका देंगे ? मैं इस बार सोचकर आया हूँ कि मैंने सदन में लड़ना नहीं है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे मेरी बात तो कहने दें ।

Mr. Speaker : Alright, you may say anything whatever you want to say. According to the Minister do you listen to your Party President ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सबजैक्ट पर ही बात करूंगा और आप जो प्रश्न उठायेंगे उनका उत्तर भी दूंगा । 6 महीने बाद यह बजट सैशन बुलाया गया है, वह भी इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि 6 महीने में एक बार सदन की सीटिंग होनी आवश्यक है । अगर यह बात संविधान में नहीं लिखी होती तो यह सैशन नहीं आता ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनके नेता वहां मौजूद थे और यहां भी मौजूद हैं ।

Mr. Speaker : Mr. Vij, I will give you chance to speak. Yes, Mr. Minister what do you want to say ?

Shri Randeep Singh Surjewala : My respectfully submission through you to my learned friend is that who keeps getting angry from time to time sometimes without necesarily raising a provocation or reason, is that his Leader was present ? The healthy practice, parliamentary practice is "That all these issues are deliberated in the Business Advisory Committee so that the precious time of this House not even a minute is wasted". People of Haryana are paying for the proceedings of this House. It is our responsibility, onerous as it is to not waste a single minute and be careful in speaking every single sentence and

[Shri Randeep Singh Surjewala]
word. His Leader was present he is concurring, he is disagreeing with his leader. Earlier, Arora Sahib who is a senior member, far senior to me also, he was also disagreeing with his leader. That's not the wastage of time. Let's proceed with the Business of the House.

Mr. Speaker : Mr. Vij, you may give your suggestion in two lines.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर संविधान में यह प्रावधान नहीं होता कि 6 महीने में एक बार सदन की बैठक बुलाना जरूरी है तो शायद पांच साल में एक बार ही सदन का सत्र होता। मुझे लगता है कि सरकार डैमोक्रेसी से तानाशाही की तरफ बढ़ती जा रही है। सरकार सदन की बैठक बुलाना नहीं चाहती।

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, अनिल विज जी को एक बात पता होनी चाहिए कि बी.ए.सी. की मीटिंग में इनके दल के नेता की उपस्थिति में यूनानीमसली सदन की अवधि के बारे में फैसला हो गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चट्ठा साहब, मिस्टर विज यह कह रहे हैं कि पार्टी के लीडर की बात तो उन्हें पता ही नहीं है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, इनकी पार्टी के लीडर वहां बैठे हुए थे और उन्होंने अब तक इस बात से एग्री किया है उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया है और न ही कोई एतराज़ ही उठाया है लेकिन ये फिर उसी बात को दोबारा उठा रहे हैं जोकि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है कि ये अपनी पार्टी के लीडर से डिफर कर रहे हैं। इसी प्रकार से चौटाला जी की पार्टी के सदस्य भी उनसे डिफर कर रहे हैं। यह एक अजीब प्रकार की स्थिति है जो आज से पहले कभी नहीं हुई कि किसी पार्टी का लीडर बी.ए.सी. की मीटिंग में एग्री करके आये और पार्टी के दूसरे सदस्य यहां खौरू निकालें। यह बात पूरी तरह से गलत है।

Mrs. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, (Interruption)

Mr. Speaker : Yes, Mrs. Hon'ble Minister please.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister wanted to say something. I have allowed her to speak first. Yes, Mrs. Kiran Chaudhary.

Mrs. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, This is an established norm and precedent of this august House which has already been deliberated upon and like the Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs said that this has been taken up in the Business Advisory Committee that itself is enough for this House to carry on, to go on and on about Business on which has already been deliberated upon. If we accept the view of Shri Anil Vij, I do not think we set a good precedent for future.

Mr. Speaker : Yes, Mr. Vij.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं इन सभी की बातों का उत्तर दे देता हूँ। ये सभी बार-बार यह कह रहे हैं कि बिजनैस एडवाईज़री कमेटी की मीटिंग में हमारे दल के नेता की मौजूदगी में सदन की अवधि के बारे में फैसला हो गया है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारे पार्टी के लीडर उस मीटिंग में थे और इस बारे में उनकी सहमति भी रही होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने इस रेज्योल्यूशन को पास करने के लिए सदन में रखा है। जिस पर हम सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए हम अपनी बात कहेंगे क्योंकि आपको यह रेज्योल्यूशन सदन से पास करवाना है। If the decision of B.A.C. was sufficient तो फिर इस रेज्योल्यूशन को सदन में पास करवाने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी। आप इसे सदन में पास करवाने के लिए न लाते। आप इस बारे में कानून बना दीजिए कि जो रेज्योल्यूशन बी.ए.सी. में पास हो जायेगा उसे सदन में पास करवाने के लिए नहीं लाया जायेगा अर्थात् बी.ए.सी. का फैसला फाईनल होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए जब कोई रेज्योल्यूशन पास होने जा रहा हो तो उसके बारे में हरेक सदस्य को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। सर, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि होगा तो वही जो आप चाहेंगे लेकिन हमें बोल तो लेने दीजिए। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि यह एक अपारचुनिटी होती है किसी सदस्य को अपनी बात कहने के लिए..... विघ्न)

Smt. Kiran Chaudhary : This is a contempt of the Chair.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, this is an aspersion on the Chair, I strongly object to it and these remarks should be expunged.

Shri Anil Vij : What is this ? Why it should be expunged ? How can you say this ?

Shri Randeep Singh Surjewala : He is saying that the Chair is partisan. The Chair will not consider his averments.

Shri Anil Vij : What wrong I have said ? सर, मुझसे पहले बहुत से माननीय सदस्य बोले हैं। माननीय चट्ठा साहब जोकि मेरे दोस्त भी हैं वे भी बोले हैं। माननीय मंत्री महोदया जी बोली हैं लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैंने बोलना शुरू किया है (विघ्न)

Mr. Speaker : You are insinuating, Mr. Vij. Don't insinuate.

श्री अनिल विज : सर, मैं अपनी बात एक लाईन में समाप्त कर रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन की बैठक 6 महीने के बाद बुलाई जा रही है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि कम से कम एक महीने के लिए इस सदन की कार्यवाही को चलाया जाना चाहिए। आप चैक करके देख लीजिए सभी माननीय सदस्यों के लगभग 400 प्रश्न आये हुए हैं और यह भी हो सकता है कि प्रश्नों की संख्या 400 से भी ज्यादा हो। मौजूदा सदन की आठ सीटिंग में 20 प्रश्न प्रति सीटिंग के हिसाब से देखा जाये तो केवल 160 प्रश्नों पर ही चर्चा हो सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हर रोज़ बाहर ब्यान देते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे

[श्री अनिल विज]
नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन 400 प्रश्नों को लगाने का कब मौका मिलेगा। हर बार यही होता है। इसलिए मैं यह रिकवैस्ट करना चाहता हूँ कि मौजूदा विधान सभा सत्र की आठ बैठकें करना प्रजातंत्र के साथ धोखा है। मैं यह मांग करता हूँ कि इस बार सदन के मौजूदा सत्र की कार्यवाही कम से कम एक मास के लिए चलाई जानी चाहिए।

Mr. Speaker : Mr. Arora, you may speak but be brief on this.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, श्री सुरजेवाला जी ने कहा कि आप अपने दल के लीडर से सहमत नहीं हैं, मेरा कहना है कि हमारे दल के लीडर चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के साथ तो हम सारे सहमत हैं पर ये बतायें कि इनकी पार्टी के सभी सदस्य सहमत हैं या नहीं हैं। एक सदस्य तो उठकर भी चला गया। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाउस का समय बढ़ाया जाये। विज साहब ने ठीक कहा है कि अगर बी.ए.सी. की रिपोर्ट हाऊस में आई है तो डिस्कस तो होगी ही।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इनके तो नेता ही उठकर चले गये हैं क्योंकि इन्होंने अपने नेता की बात का विरोध करना शुरू कर दिया।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाऊस का समय बढ़ाया जाये। (विघ्न)

वॉक-आऊट

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अखबारों में भी छपा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा था कि विपक्ष के पास कोई इश्यू नहीं है। हम सदन में वाइडल डिस्कशन करना चाहते हैं। आज प्रदेश में आप देखेंगे कि* * *

Mr. Speaker : You are not making the speech on the Governors' Address. (Interruption) Not to be recorded.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, * * *

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माजरा साहब अपने समय में पूरा प्रश्नकाल एक ही प्रश्न का जवाब देने में निकाल देते थे।

Mr. Speaker : Mr. Majra, can you assure me that you will let all your Members speak in the time allotted to you.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आप एक महीने का सैशन कीजिए हमारे सभी सदस्य बोलेंगे। हम अपने क्षेत्रों की सारी समस्याएं लेकर सदन में आये हैं और सी.एम. साहब के सामने यह कहना चाहते हैं "अगर कह न सकेंगे तो निदान क्या होगा।"

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, आप अपनी बात कह चुके हैं इसलिए आप अपनी सीट पर बैठिये ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यदि आप हमें बोलने का समय नहीं देते हो और सदन की सीटिंग्ज बी.ए.सी. की रिपोर्ट के अनुसार ही रखते हो तो हम इसके विरोध में सदन से वॉक-आउट करते हैं ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हाउस की सीटिंग्ज नहीं बढ़ाते हो तो हम भी इसके विरोध में सदन से वॉक-आउट करते हैं ।

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी में उपस्थित सभी सदस्य तथा अकाली दल के एक मात्र सदस्य सदन की बैठकें न बढ़ाए जाने के विरोध में सदन से वॉक-आउट कर गये ।)

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट (पुनरारम्भण)

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज़-पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliament Affairs Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Haryana Rural Development (Amendment) Ordinance, 2011 (Haryana Ordinance No. 1 of 2012).

The Haryana Rural Development (Second Amendment) Ordinance, 2012 (Haryana Ordinance No. 2 of 2012).

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 4/Const./Art. 320/2011, dated the 13th April, 2011 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The General Administration Department Notification No. S.O. 47/H.A. 3/1970/Ss. 8 and 9/2011, dated the 2nd June, 2011 regarding amendment in Haryana Ministers Allowances Rules, 1972, as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 25/Const./Art. 320/2010, dated the 29th October, 2010 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 26/Const./Art. 320/2010, dated the 13th December, 2010 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 14/Const./Art. 320/2011, dated the 12th September, 2011 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 16/Const./Art. 320/2011, dated the 16th December, 2011 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 3/Const./Art. 320/2012, dated the 17th January, 2012 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Home (Police) Department Notification No. S.O. 53/H.A. 25/2008/S.92/2011, dated the 10th June, 2011 as required under Article 92(2) of the Haryana Police Act, 2007.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/23/2010/1st Amendment/2011, dated the 5th September, 2011, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Annual Report of Haryana Forest Development Corporation

Limited for the year 2005-2006, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Forest Development Corporation Limited for the year 2006-2007, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Forest Development Corporation Limited for the year 2007-2008, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Grant Utilization Certificate and Audit Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2006-07, as required under section 34 (5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Audit Report and Annual Accounts of Haryana State Agricultural Marketing Board, Panchkula for the year 2008-09, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 2008-2009, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 2009-2010, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 42nd Annual Report of Haryana Warehousing Corporation Limited for the year 2008-09, as required under section 31 (11) of the Warehousing Coporation Act, 1962.

The 43rd Annual Report & Accounts of the Haryana Agro Industries Corporation Limited Panchkula for the year 2009-10, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 37th Annual Report of Haryana Seeds Development Corporation Limited for the year 2010-2011, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 10th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2006-2007, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 11th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2007-2008, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2009-2010, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The Finance Accounts (Volume-I & II) of the Government of Haryana for the year 2010-2011 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Costitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2010-2011 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Costitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2011 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Costitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2011 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Costitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2010 on State Finances Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Costitution of India.

विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरूद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble Members, since Dr. Raghuvir Singh Kadian is not present in the House today. I will permit Smt. Sumita Singh who is a member of the Privilege Committee, will present all four Preliminary Reports of the Committee of Privileges.

Now, she will present the Fourth Preliminary Report of Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA (now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/breach of privilege by him and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Smt. Sumita Singh (Member of the Committee) : Sir, I beg to present Fourth Preliminary Report of the Committee of Priviliges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA (now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to commiting the contempt of the House/breach of privilege by him.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरूद्ध

Mr. Speaker : Now, Smt. Sumita Singh will present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single Sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Smt. Sumita Singh (Member of the Committee) : Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Priviliges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single Sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Smt. Sumita Singh will present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore.

He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Parkash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the aforestated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowinly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of Privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of Privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Smt. Sumita Singh (Member of the Committee) : Sir, I beg to present Fourth Preliminary Report of the Committee of Priviliges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Parkash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the aforestated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowinly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of Privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of Privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Smt. Sumita Singh will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA (Now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA, who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 6th September, 2010, stating that a news was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl had been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of car as HR-70L-0009. He further stated that the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Parkash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowinly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of Privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of breach of Privilege/ contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Smt. Sumita Singh (Member of the Committee) : Sir, I beg to present Third Preliminary Report of the Committee of Priviliges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA (Now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 6th September, 2010 stating that a news was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl had been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of car as HR-70L-0009. He further stated that the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Parkash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowinly to mislead this august House. This

constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of breach of privilege/ contempt of the House.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के परिवार के सदस्यों के न्यासों/सोसाइटियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए सदन की समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

Mr. Speaker : Now, Shri Bharat Bhushan Batra, M.L.A., Chairperson, Committee of the House to examine the Irregularities Committed by Trusts/ Societies of family members of Shri Om Prakash Chautala, M.L.A. will present the Preliminary Report of the Committee and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Shri Bharat Bhushan Batra (Chairperson, Committee of the House to examine the Irregularities Committed by Trusts/Societies of family members of Shri Om Parkash Chautala, M.L.A.) : Sir, I beg to present the Preliminary Report of the Committee of the House to examine the Irregularities Committed by Trusts/Societies of family members of Shri Om Parkash Chautala, M.L.A.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री शेर सिंह बड़शामी (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि यह जो ट्रस्ट एंड सोसाइटी कमेटी का गठन किया गया है चौटाला साहब की ट्रस्ट्स वगैरह की इंक्वायरी के लिए, यह पूरी तरह से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और पार्लियामैंट्री कन्वैशंज के हिसाब से भी पूरी तरह से गलत है। हमारे देश का कोई भी कानून इस तरह की कोई इजाजत नहीं देता कि किसी व्यक्ति के ऊपर दो जगह मुकदमा चलाया जा सके। भारतीय संविधान के मुताबिक इस तरह की कोई परमीशन नहीं दी जा सकती। सर, मैं इस बारे में आपको पढ़कर सुनाता हूँ भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 क्लॉज-2 में क्लीयरकट मेंशन किया हुआ है **"No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once."** यह पूरी तरह से क्लीयर है कि संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, जो भी ऐक्ट बनते हैं वह संविधान के अन्तर्गत बनते हैं, जो भी रूल बनते हैं वह भी सभी ऐक्ट के अन्तर्गत ही बनते हैं। यहां तक की पार्लियामैंट्री कंवैंशंज के ऊपर एक किताब कौल एंड शकधर लिखी गई है उसमें कौल एंड शकधर की कई तरह की जजमैंट मेंशन की गई हैं जो कि डिफरैंट न्यायालयों ने दी हैं, डिफरैंट विधान सभाओं ने दी हैं। उनके अंदर भी पूरी तरह से इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके पेज 1066-67 और 1069 पर क्लीयरकट जजमैंट लिखी गई हैं उनके अनुसार भी इस तरह की किसी कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता है। डबल प्रौसीडिंग्ज नहीं चलाई जा सकती हैं यहां तक कि जो रूल्स हरियाणा असैंबली के बिजनेस के लिए बनाए गए हैं, लेजिस्लेचर के लिए बनाए गए हैं।

Mr. Speaker : Alright send it to me. Can you give me a copy thereof? You may kindly send it to me. (विघ्न) जब आप इसको हाउस में पढ़ रहे हैं तो मुझे देने में क्या दिक्कत है।

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, इसमें मेरी कोई पर्सनल जरूरत की चीज भी लिखी थी।

Mr. Speaker : Why are you hiding it? When you are reading it in the House, you should also send it to me.

श्री शेर सिंह बड़शामी : इसमें मेरी कोई पर्सनल जरूरत की चीज है वह मैंने फाड़ ली है बाकी की आपसे संबंधित कॉपी मैं आपके समक्ष भिजवा देता हूँ। आर्टिकल 20 क्लॉज-2 में डबल जॉब पैरिटी और डबल प्रौसीडिंग्स किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं चला सकते। इसमें केवल एक आदमी को डिफेम करने के लिए ये सब प्रौसीडिंग्स चलाई जा रही हैं।

Smt. Kiran Chaudhary : Double jeopardy is only in the case of prosecution involves.

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, मैं भी यही कह रहा हूँ। क्या मैडम मेरी बात को घुमाफिराकर कह रही हैं या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, इस बारे में आप क्लीयर करें। मैडम की बात से ऐसा लगता है कि इनको इस बारे में मेरे से ज्यादा जानकारी हो। मैं कहना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब ने ही यह कमेटी बनाई है और उन्होंने ही इस कमेटी को ड्रॉप करना है। यदि उनको मेरी बात पसंद न आई हो तो वे इस बारे में रूलिंग दे दें that on which ground, on the basis of which law, you constituted a Committee for finding the facts.

Mr. Speaker : You are mentioning something, Mr. Barshammi.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, हरियाणा लेजिस्लेटिव असैंबली की रूल्ज एवं प्रौसीजर की किताब है, इसमें भी जो आपका रूल 100 है उसकी जो क्लॉज 3 है उसमें भी क्लीयरकट लिखा है—

"refer to a matter of fact on which a judicial decision is pending;" उसके बारे में कोई चर्चा हाउस में नहीं कर सकते हैं। जो कमेटी बनाई है उसके अंदर भी हाउस के ही सदस्य हैं उस कमेटी का महत्व हाउस से भी ज्यादा है वहां पर जो भी ऐडजूडिकेशन है या जो भी केस सब-जूडिस है उनके ऊपर भी चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कमेटी बनाई है वह बिल्कुल गलत है और गैर-कानूनी है इसलिए उस कमेटी की प्रोसीडिंग्ज को आगे टाईम देने की बजाए उस कमेटी को ड्राप किया जाए। जो हरियाणा लैजिस्लेटिव एसैम्बली का रूल्ज और प्रोसीजर है उसके रूल 68 और 100 में इसके बारे में पूरी तरह से इसको डिफाईन किया गया है "No motion shall deal with any matter which is under adjudication by a Court of Law."

Mr. Speaker : Are you mentioning 68 ?

Shri Sher Singh Badshami : Sir, Rule 68 and 100 both cover this matter.

Mr. Speaker : That is for Adjournment Motion.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, मोशन तो एडजर्नमैंट का है लेकिन इसका मिनिंग यही है।

Mr. Speaker : No. No.

Shri Sher Singh Badshami : Yes Sir. रिफ्रैंसिज इससे ले लीजिए। You come to the Article 20 Clause-2 of the Constitution. That is very much clear Sir. You cannot constitute a Committee.

Mr. Speaker : No No. That is only on Adjournment Motion. And you also mentioned 100.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, मैंने संविधान के आर्टीकल 20 को मैनशन किया है पहले इस पर आ जाईए। जो कुछ भी बना है इसके नीचे ही बना है।

Mr. Speaker : Did you say 100 ?

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, चाहे सी.पी.सी. बनी, चाहे आई.पी.सी. बनी जो भी बनी हैं इसके अंडर बनी हैं। सबसे पहले मैंने इसका नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष : सी.पी.सी. और आई.पी.सी. और एविडैंस एक्ट वर्ष 1861 में बने थे और यह रूल और प्रोसीजर वर्ष 1950 में बना है।

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, मेरे कहने का भाव यह है कि देश के सारे के सारे एक्ट और रूल्ज इस संविधान के अन्दर ही बनते हैं।

श्री अध्यक्ष : सी.पी.सी. और आई.पी.सी. तो वर्ष 1861 में बनी थी और यह रूल और प्रोसीजर वर्ष 1950 में बना है।

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, है लेकिन covered by this Constitution. अगर इसमें कंट्राडिक्शन होगा तो चल ही नहीं सकती। उसको कोर्ट स्ट्रक डाऊन कर सकता है। संविधान के आर्टीकल 20 के क्लाज 2 को पढ़ें उसके अन्दर लिखा है कि जो भी कानून संविधान के अन्दर बना है या जो भी एक्ट बना है वे सारे संविधान के अन्दर बने हैं और एक्ट के अन्दर ही सारे रूल्ज फ्रेम हुए हैं अगर कहीं रूल्ज और एक्ट में कन्ट्राडिक्शन है तो एक्ट प्रीवेल करेगा और यदि कहीं एक्ट और संविधान में कान्ट्राडिक्शन है तो संविधान उसको प्रीवेल करेगा। Sir, Constitution is a supreme. Constitution is very clear that you can not constitute the Committee.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, my learned friend first of all must know that today the constitution of the Committee is not under discussion. The Committee stands constituted and that time he was present in the House.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, यदि कोई चीज गलत कर दी है तो उसे ठीक तो किया जा सकता है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, if he walks out. . . . मैंने बड़शामी जी जब बोल रहे थे तो मैंने इनको बीच में इन्टरप्ट नहीं किया मैं तो शान्त बैठा रहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर साहब, मैं इस बारे में आपकी जजमैंट चाहता हूँ, रूलिंग चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर यह गैर कानूनी है तो इसको ड्राप किया जाये। अगर कोई चीज गलत शुरू कर दी है तो क्या हम इसके बारे में एतराज नहीं कर सकते।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, if he has decided that he wants to make news by having one more walk out-then they should do it now because the press is also getting delayed in writing their walk-out stories. (Interruption).

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, मन्त्री महोदय, अगर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो मैं भी जिम्मेदारी की बात कह रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, if that is the intension, if only intention is to make a news by having a walk-out, then they should do quickly.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, मन्त्री महोदय का क्या किसी बात के लिए एक्सक्यूज थोड़ी होता है यह लॉ का सवाल है सारा हाउस यहां पर बैठा है क्या ये गलत नहीं कह रहे हैं।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, my friend has raised a point and I am only trying to answer. (Interruption)

डॉ० अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, क्या मन्त्री महोदय की इन्टैन्शन ठीक रहती है ?

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, मन्त्री जी मेरी बात का जवाब देने की कृपा करें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अगर आप सुनेंगे तो मैं कहूँगा । (Interruption)

Mr. Speaker : Mr. Badshami, just hold on. (Interruption) Everybody sit down please. Parliamentary Affairs Minister may please sit down. Mr. Badshami, you made a point and the Parliamentary Affairs Minister is a very important conponent on the issue that you have raised. I have allowed him to give explanation thereon and you are not allowing him to speak. Let him complete.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, यह मसला कहां से शुरू हुआ था ? यह लीगल प्वायंट है ।

Mr. Speaker : Now, you have taken it that way. (Interruption) Let him say something. Let him say. Do not interrupt anybody.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I have three or four submissions to make to you as also through you to this august House.

Mr. Speaker : He has raised three points. First is double jeopardy. Second is Rule 100 and third is Rule 68.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I will reply them one by one.

Shri Sher Singh Badshami : Sir, Rule 100 is a doctrine based on the Article 20 of the Constitution of India. Some ingredients are different from that but Article 20 and Sub-Clause 2 is very much clear which cover all this.

Mr. Speaker : You note down Article 20 Sub-Clause 2 of the Constitution of India.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, Article 20 Sub-Clause 2 is double jeopardy only. Unfortunately he has not read it.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, मैं कमिट कर रहा हूँ ।

Shri Randeep Singh Surjewala : That is alright. Sir, the answer to all his three averments is simple. No. 1. the Committee stands constituted. The Constitution of the Committee is not an issue that is coming up for adjudication before this House. What is coming up for adjudication and decision before this House is that extension of time as requested by the Hon'ble Chairman of Committee, Shri B.B. Batra ji ? So, my learned friend should know that all these objections which he is raising now, he should have raised at the time of the Constitution of the Committee. Now, the issue before the House is that only extension of time. No. 2. Sir, my learned friend is saying that Article 20 bars taking of any further proceedings against Shri Om Parkash Chautala. Sir, it is a fact that there is a CBI case going on against Shri Om Parkash Chautala that everybody knows. But I would like to draw your attention as also of the House to the Terms of reference of the Committee. The Committee shall make specific

[Shri Randeep Singh Surjewala]
recommendations qua :—

1. Manner and methodology of allotment of properties/acquisition of properties by these Trusts/Societies including details of their assets and liabilities.

2. Manner and mothodology of taking over of these Trusts/Societies by the Government in order to ensure that objects of the Trusts/ Societies are met with effectively as has been recommended by CBI. What is pending before the CBI Court is a disproportionate assets case. It is not the allotment of properties to the Trusts or Societies that is pending there.

Mr. Speaker : Mr. Parliamentary Affairs Minister, I can give my ruling on this only if the House wants to discuss this issue.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, as I said right in the beginning.

Mr. Speaker : Are you ready to discuss this issue ?

Shri Sher Singh Barshami : Yes, Sir. We are ready.

Mr. Speaker : On the whole issue of it.

श्री शेर सिंह बड़शामी : हां, सर । बिल्कुल इस पर चर्चा की जाए ।

Shri Randeep Singh Surjewala : Yes Sir, time may be fixed.

Mr. Speaker : O.K., we will fix time. As per the procedure of this House, if you want a discussion, you have to give notice or you have to take sense of the House.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, जब आपने हाउस में बोल ही दिया है कि हम इसके बारे में टाइम फिक्स करेंगे तो अब आप ये क्यों पूछ रहे हो ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम पहले इस बारे में आपकी रूलिंग चाहते हैं कि यह कमेटी बन सकती है या नहीं, तभी हम डिस्कशन करेंगे ।

Mr. Speaker : We will fix time for discussion.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, they are agreeing. (Noise & Interruption)

श्री भारत भूषण बतरा : * * *

श्री शेर सिंह बड़शामी : * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : * *

श्री रामपाल माजरा : ****

श्री अध्यक्ष : जो भी सदस्य बिना परमीशन के बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) Hon'ble Members, please take your seats. (Noise & Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पहले आप अपनी रूलिंग दें कि यह कमेटी बन सकती है या नहीं। डबल इन्कवायरी चल सकती है या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You please seek my permission prior to speak.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, पहले आप अपनी जजमैंट दें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : There may be discussion on the whole issue including the issue raised in the house. (Noise & Interruption)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप अपनी रूलिंग दें कि यह कमेटी बन सकती है या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I will hear both the sides. No further discussion is required as already fixing time on this.

Shri Randeep Singh Surjewala : Thank you, Sir.

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, **** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I will inform you two days in advance. I will fix time. आप कृष्ण लाल जी इस इश्यू पर डिस्कशन चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं, तो ठीक है। I have given my ruling. My ruling has come that this matter will be discussed in the House. (Noise and interruption)

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, हम डिस्कशन तो चाहते हैं लेकिन पहले आप अपनी रूलिंग तो दें। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, no other business is listed today.

Mr. Speaker : The issue is that the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session. (Noise and interruption)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए । पहले आप रूलिंग दें । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, You have already given a ruling that the issue will be deliberated. Your ruling have already come that the issue will be deliberated. Let the issue be deliberated at a time fixed by you.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, यह तो कानूनी बात है । (शोर एवं व्यवधान) पहले आप अपनी रूलिंग दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पहले आप अपनी रूलिंग दें कि यह कमेटी क्यों बनी हुई है? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Parliamentary Affairs Minister, what else do you have to say when I have said that the whole issue will be discussed ? (Interruption) Are you running away from it ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I will ready to discuss. (Interruption)

Mr. Speaker : Then we will discuss. (Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala : I don't know why my learned friend shying away. He should not be shying away. We will discuss the issue again. (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं । पहले हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान) इस कमेटी को खत्म किया जाये यह गैर कानूनी बनी हुई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, इसका कोई टाईम एक्सटेंड नहीं करना चाहिए । डिस्कशन के लिए हम तैयार हैं । यह गैर कानूनी बनी हुई है । यह टोटली गैर कानूनी बनी हुई है । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I have already given my ruling that this matter will be discussed threadbare in this House. Why are you running away from what you have said. आपने कहा कि करेंगे मैंने कहा टाईम फिक्स कर देता हूँ ! आपको क्या तकलीफ है, डिस्कशन होने दो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : इनके पास खुला समय है । ये अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे । हम आज यह रूलिंग चाहते हैं कि यह कमेटी ठीक है या नहीं । (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है, मैं इस पर टाईम फिक्स करूँगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, पहले यह रूलिंग दो कि यह कमेटी ठीक बनी है या नहीं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है यह फैसला मुझे करना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : यह कमेटी किस एक्ट के तहत बनी है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस बात का भी फैसला कर दूंगा और टाईम भी फिक्स कर दूंगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, पहले इस बात का फैसला करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अगर आप इस पर फैसला कर दोगे तो हम डिस्कशन पर कंट्रीब्यूट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह कमेटी बनाई गई उस समय हमें सदन से सस्पैंड कर दिया गया था अदरवाईज हम उस समय बताते कि यह कमेटी गैर कानूनी बन रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : मेरे काबिल दोस्तों को चर्चा के बाद यह लगेगा और हाऊस इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस पूरी कमेटी का कंस्टीट्यूशन ही गलत था then we will request the Learned Chairman to reconsider it and the House can disband its Committee after discussion. Why do not they understand ?

Mr. Speaker : When do you want the discussion ? (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : यह कमेटी गैर कानूनी है, इसका टाईम बढ़ाना नियमों के खिलाफ है।

17.00 बजे

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हाऊस में एक मैटर आया है और विपक्ष के साथियों द्वारा उसके ऊपर आपकी रूलिंग की बात की जा रही है। आपने डिस्कशन को अलाऊ कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : अभी टाईम फिक्स करना बाकी है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले में आपकी रूलिंग डिस्कशन के बाद में ही आनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो यह डिस्कशन आपने अलाऊ की है यह किस विषय में की है? क्या इसी विषय में की है जिस पर विपक्ष के साथी आपकी रूलिंग मांग रहे हैं।

Mr. Speaker : Yes, on the whole issue.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यह बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब इस मामले में डिस्कशन होगी, उसके बाद ही आपकी रूलिंग आयेगी या आप डिस्कसन से पहले ही अपनी रूलिंग दे देंगे?

श्री अध्यक्ष : इस बात पर तो ये एग्री कर चुके हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं विपक्ष के साथियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि इस विषय में डिस्कशन के बाद ही आप रूलिंग देंगे ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, चौधरी सम्पत सिंह उलझाने का काम कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, उलझने वाली बात आपके लिए हो सकती है मेरे लिए नहीं क्योंकि मैं तो नहीं उलझ सकता ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं किसी को उलझाने का काम नहीं कर रहा हूँ । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम इस बात पर कोई डिस्कसन नहीं कर रहे हैं कि इनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी क्यों रोक ली गई । एस.पी. का तबादला क्यों कर दिया गया । (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, no personal aspersions are permitted of the kind that Arora Sahib is raising. गड्ढे के पीछे घोड़ा लगाने की अरोड़ा जी की पुरानी आदत है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बड़शामी जी, आपने क्या कहा ?

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूँ कि हाऊस में प्रोफैसर कहलाना भी हाऊस की अवमानना है । Mr. Sampat Singh is not a Professor. वे डिफाईन करें कि प्रोफैसर क्या है ? What do you mean by Professor ? What is the definition of a Professor ? (Noise & Interruption) How is he entitled for Professor ?

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जो बड़शामी जी पूछ रहे हैं इसका जवाब इन्हीं के पास होना चाहिए । इसलिए ये इस बारे में अपने आप ही बता दें ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह पर्सनल एसपर्सन है it should be expunged. (Noise & Interruption) इस बारे में श्री बड़शामी जी से पूछा जा सकता है कि जब ये इनके लीडर थे और फाईनैंस मिनिस्टर थे तो उस समय ये प्रोफैसर-प्रोफैसर क्यों कहा करते थे ? इनको पता होना चाहिए कि ये वही प्रोफैसर हैं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Is it on record that he is known as Professor Sampat Singh ?

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं जब इनकी पार्टी में था तो सब कुछ था लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं हूँ । ये सिर्फ जनता जानती है कि मैं क्या हूँ । (शोर एवं व्यवधान) मुझे बड़शामी जी या विपक्ष के दूसरे साथियों के किसी भी सर्टीफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Satpal : Speaker Sir, ****** (Interruption)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded whatever is said by Shri Sat Pal Sangwan. (Interruption) Shri Sangwan do you have my permission to speak ? (Noise & Interruption) The Hon'ble Minister you must carry the healthy traditions of this august House along. I have permitted Shri Sampat Singh ji to speak. Please let him speak. He will speak after you will speak.

श्री सतपाल : स्पीकर सर, ***** (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Sangwan, you do not have my permission to speak. Nothing is to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, आपने इस बारे में यह कह दिया है कि आप इसके लिए समय निश्चित करेंगे और हाऊस किसी भी कमेटी को कभी भी डिस्बैंड कर सकता है।

Mr. Speaker : I have passed my ruling that we will discuss this after the whole House agrees, after the both sides agree. (Noise & Interruption) शेर सिंह जी यह आपने कहा है। आप रिकार्ड देख लीजिए। आपने कहा है कि ठीक है कराओ डिस्कशन। (शोर एवं व्यवधान) अब आप डिस्कशन से क्यों भागना चाहते हैं?

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, मैं डिस्कशन के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। चाहे कितना भी टाईम क्यों न लगे। आप इस बारे में डिस्कशन करवाईये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Yes, Mr. Ajay Singh Chautala. (Noise & Interruption) I have permitted you to speak.

श्री अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने एक बात तो पकड़ ली। इस मुद्दे के पीछे इश्यू क्या था और यह डिस्कशन क्यों शुरू हुई थी? आप उस इश्यू से लेकर सारी बहस करवायें उसके लिए हम सब तैयार हैं परन्तु जब राजीव गांधी ट्रस्ट को ज़मीन देने का मामला हाऊस में आया तब हमारे इन ट्रस्टों और सोसायटीज़ की बात चली। उन सारे इश्यूज़ को दबाने के लिए ये सभी तरीके अपनाये जा रहे हैं। हमें डिफेम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाये जा रहे हैं। यह गैर-कानूनी है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह बहुत पुरानी कांस्टीच्यूट हुई कमेटी है यह कमेटी कोई आज कांस्टीच्यूट नहीं हुई है।

Mr. Speaker : Yes, Mr. Abhay Singh Chautala.

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन-जिन ट्रस्टों को लेकर इस हाऊस में बात चली थी और जिन-जिन लोगों को सरकार की तरफ से ज़मीनें दी गई थी उन सारी ज़मीनों के बारे में दोबारा नये सिरे से डिस्कशन करवाई जाये।

Mr. Speaker : Alright. I don't mind that.

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अकेले इन ट्रस्टों के लिए कमेटी कांस्टीच्यूट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कमेटी को

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

कांस्टीच्यूट करना है तो सभी के लिए की जाये और उस कमेटी में सभी दलों के सदस्यों को बराबर-बराबर मैम्बर बनाया जाये।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, यह प्रश्न केवल इस कमेटी की एक्सटेंशन का है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, ***** (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप खड़े होकर बोलने की परमिशन मांगते हो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी बोलने के लिए खड़े हैं जो कि आपके नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजीशन भी हैं। आप इधर थोड़ा सा देख तो लिया करो।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं इनको देखकर तुरंत बैठ गया हूँ।

श्री अध्यक्ष : हां, चौटाला जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपको भी इन बातों में मज़ा आता है। आप मज़ा लेने के बजाये जो बात आपसे पूछी जाये आप उस पर फैसला करो। अध्यक्ष महोदय, सवाल तो इस बात को लेकर आया था कि यह जो कमेटी गठित की गई है यह गलत है और इस पर आपकी रूलिंग मांगी गई थी लेकिन आपने मज़ा लेने के लिए इस सारे मामले को उलझाकर सारी बहस का इसमें हवाला दे दिया। फैसला आपको करना है। कानून और संविधान के मुताबिक शेरसिंह जी का प्वायंट यह था कि आप यह प्रमाणित करें कि इस कमेटी का गठन कांस्टीच्यूशनली ठीक हुआ है यानि लॉ और कानून के मुताबिक यह कमेटी ठीक गठित हुई है और इन्होंने यह सवाल पूछा था कि क्या एक केस कई अदालतों में चल सकता है? आप अपनी रूलिंग दें उसके बाद अगली कार्यवाही करें। आप बिना वजह औरों को इस परेशानी में क्यों डाल रहे हो।

श्री अध्यक्ष : कौन परेशान है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप कर रहे हो ना सभी को।

श्री अध्यक्ष : कैसे जी?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप मजे ले रहे हो। आप से रूलिंग मांगी गई थी लेकिन आप रूलिंग नहीं दे रहे हैं। आप पहले रूलिंग दो उसके बाद दूसरी कार्यवाही करो।

श्री अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अपनी बात कहिए उसके बाद मैं अपनी बात कहूँगा।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इश्यू बड़ा सिंपल है। पता नहीं आपकी रूलिंग के बाद भी हम इसको क्यों उलझा रहे हैं। हाऊस ने एक कमेटी कांस्टीच्यूट कर दी है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब कह रहे हैं कि मजे ले रहे हो।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, मुझे भी लगा कि पता नहीं कौन किसके मजे ले रहा है यह तो समझ में नहीं आया लेकिन सर, सीधी सी बात यह है कि यह बड़ा गंभीर विषय है। यह कोई मजाक की बात नहीं है, न ही कोई उपहास की बात है। एक गंभीर विषय हाऊस के सामने आया, आपने अपनी बात रखी और हमने भी अपनी बात उस पर रखी। सीधी सी बात है कि एक्सटैनसन ऑफ टाईम का विषय आया। Whether or not extension in time has to be granted ? My learned friend says that the House Committee itself is wrongly constituted. Who can decide on that ? You said a free discussion will be permitted and the House will decide it ? I do not know what is the confusion ? You have permitted enough time. Please specify a certain time Sir, and consequently the issue can be deliberated threadbare. If the House comes to a consensus that the Committee is wrongly constituted, the House can always undo its decision, disband the Committee. Then Barshami Ji's averments will be upheld and what he is saying will be deemed to be corrected. if the House comes to a conclusion that 'no it is not so', then the matter can proceed further and the extension in time in the meanwhile has been granted. Where is the confusion Sir ? So, my humble request is that kindly allocate some time so that all the issues can be discussed threadbare and consequently the House can take a core.

Mr. Speaker : Including the issue of the legality of constitution of this Committee ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Absolutely Sir, We are ready. I can say on behalf of the Government that we are ready for a free and frank discussion even on that.

Mr. Speaker : Now, they want that the discussion including the formation, legality and continuance.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मेरा इश्यू यह था कि एक व्यक्ति के ऊपर दो मुकदमे नहीं चल सकते। एक मुकदमा पहले ही चल रहा है, उसी इश्यू पर दूसरा मुकदमा चलाने के लिए, उसकी इन्वैस्टीगेशन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जो कि गलत है।

श्री अध्यक्ष : क्या इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए ?

श्री शेर सिंह बड़शामी : नहीं सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डिबार है। कांस्टीच्यूशन में भी डिबार है।

श्री अध्यक्ष : यह कमेटी ठीक बनी है या नहीं बनी है, किस विषय को लेकर बनी है। क्या इस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? आप खुद ही मुद्दा उठा रहे हैं और डिस्कशन से मना कर रहे हैं।

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, विषय तो सामने है। ये उसको उसके प्रोसिजर पर लेकर जा रहे हैं। मैं इसके गठन पर लेकर आ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैं रूलिंग दे चुका हूँ और डिस्कशन हो जायेगी।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जब यह कमेटी बनी थी उस समय पूरा डिस्कशन हुआ था, तब जाकर यह कमेटी बनी थी। अब इसको रि-ओपन करने का कौन सा समय है? It is a wastage of the time of the House. जब डिस्कशन होकर एक कमेटी बन गई तो दुबारा इसको डिस्कशन पर क्यों ला रहे हो।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, रणदीप जी ने कहा कि मैटर डिस्कस हो सकता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि यहां पर आपकी अनुमति से कोई भी मैटर डिस्कस हो सकता है लेकिन कोई भी इम्कवायरी जो किसी कोर्ट में चल रही हो, हाउस उसकी इम्कवायरी नहीं कर सकता। इसलिए इस कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : वह गठन तो हो चुका है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मलिक साहब कह रहे थे कि यह कमेटी का गठन जब हुआ उस समय डिस्कशन हुई थी वह भी एक* * * * हुआ था। सभी एम.एल.एज. को बाहर निकाल कर इसका गठन किया गया था।

श्री अध्यक्ष : इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, अरोड़ा जी जो कह रहे हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं। Committee has been constituted and the House is ready. Why are you scared ? Why are you shying away ? Let us have a discussion.

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों पक्षों को सुनकर अपनी रूलिंग दूंगा और मैं डिस्कशन का टाईम तय कर दूँगा। इसके सभी आस्पैक्ट देख लेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपसे रूलिंग मांगी गई थी और आपने डिस्कशन अलाऊ कर दी।

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों की बात तो सुनूंगा। मैं अपना मैंटल मेकअप तो बनाऊंगा। इनकी बात भी तो सुनूंगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इनकी बात तो पहले ही बहुत स्पष्ट थी कि यह कमेटी गैर कानूनी तरीके से बनी है।

श्री अध्यक्ष : सर, मैं इस इश्यू को भी देखूँगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप यह कह रहे हैं कि यह कमेटी सदन में बनी है जबकि यह सदन के सभी एम.एल.एज. को निष्कासित करने के बाद बनी है।

श्री अध्यक्ष : इस कमेटी के सारे इश्यू को सुनने के लिए मैं टाईम फिक्स करूँगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इस बात पर अपनी रूलिंग दीजिए कि

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

क्या एक केस कई अदालतों में चल सकता है। आप अपनी रूलिंग पर वजीद रहेंगे और यह केस फिर से कोर्ट में चला जायेगा और कोर्ट अपनी रूलिंग दे देगी, फिर क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : अगर आप यह चाह रहे हैं कि यह जो कमेटी बनी है यह विद्ड्रा हो जाये तो उस पर डिस्कशन में क्या हर्ज है? मैं रूलिंग तो डिस्कशन के बाद ही दूंगा ना।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : सर, डिस्कशन किस बात की? डिस्कशन में तो कुछ है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : कैसे नहीं है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : डिस्कशन में तो मजे लेने की बात है।

श्री अध्यक्ष : मजे कौन लेगा जी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इसमें डिस्कशन किस बात की होगी। (शोर एवं व्यवधान) इसमें आपकी रूलिंग आयेगी। हम यह कहते हैं कि यह कमेटी गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

Finance Minister (S. Harmohinder Singh Chattha) : Sir, Constitution says no one can be trialed for the same offence twice. We are not trialing him, we are simply making inquiry. Trial and inquiries are two different things, entirely different things. (Noise & Interruption)

श्री अध्यक्ष : बड़शामी जी, आप पहले यह बताईये कि हाउस का आज का रिकॉर्ड दिखाऊं जिसमें आपने कहा कि हाँ डिस्कशन हो जाये। जब आप हाउस में यह बात मान गये हैं कि डिस्कशन करवाईये तो फिर अब क्या बात है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Sher Singh Barshami : Sir, let me clarify. I will clarify my statement what I have made earlier. अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूँ और डिस्कशन कंटीन्यू रहनी चाहिए। सभी बोलें और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। (शोर एवं व्यवधान) सर, पहले तो आप इस मामले को इंटरमिंगल कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि कंटीन्यू करने को नहीं कहा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, बड़शामी जी को डिस्कशन से दिक्कत क्या है? Why is he scared and what is he scared about ? He should not be hesitant and scared of discussing the matter. We are agreeing with him but he is disagreeing with himself. We are agreeing with Arora Sahib but he is disagreeing with himself. Please have a discussion, fix a time. Let a whole day be spent on discussion, we don't mind. He will discuss the issue threadbare. Every member may be permitted as is required.

Mr. Speaker : Will is that the discussion is required ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Why we are disagreeing with him, Sir, We are all agreed.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

वॉक-आऊट

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वॉक-आऊट करते हैं ।

(इस समय इण्डियन नेशनल लोक दल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य और शिरोमणि अकाली दल के एक मात्र सदस्य सदन से वॉक-आऊट कर गए ।)

*17.13 Hrs. **Mr. Speaker :** Now, the House is adjourned till 10.00 A.M., Tomorrow, the 24th February, 2012.

(The Sabha then adjourned till 10.00 A.M., Tomorrow, the 24th February, 2012.)

49989—H.V.S.—H.G.P., Chd.